

# महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा  
2021-22

पंजीकृत कार्यालय:- जागृति विहार, बुर्ला  
संबलपुर, ओडिशा, 768020

## विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी की जानकारी/ निदेशक मंडल	1
3.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	2-4
4.	निदेशकों के प्रतिवेदन	5-14
5.	लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन	15-27
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	28
7.	31 मार्च, 202१ के अनुसार तुलन पत्र	29-30
8.	31 मार्च, 202१ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण	31-32
9.	नगद प्रवाह विवरण	33-34
10.	तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची और लाभ-हानि का विवरण	35-92

कंपनी की जानकारी  
वर्ष, 2021-22 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष	
श्री ओ.पी. सिंह	(13.03.2019 से प्रभावी)
निदेशक	
श्री केशव राव	(16.12.2020 से प्रभावी)
श्री के.के. राउल	(10.01.2019 से प्रभावी)
श्री एस.के. मोहांती	(27.07.2021 तक)
श्री बी.के. दास	(28.07.2021 से प्रभावी)
श्री एस.एल. गुप्ता	(25.08.2016 से प्रभावी)
श्री एम.के. सिंह	(30.09.2021 तक)
श्री सुरेंद्र सिंह	(01.10.2021 से प्रभावी)
श्री ए. नरेन्द्र	(02.08.2017 से प्रभावी)
श्री एस. नायक	सी.ई.ओ. (15.12.2021 से प्रभावी)
श्री ए.वी.आर. मूर्ति	सी.ओ.ओ. (28.09.2021 से प्रभावी)
श्री पी.के. पंडा	सी.एफ.ओ. (01.06.2020 से प्रभावी)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस. कक्कड़ एंड असोसिएट्स,  
सनदी लेखाकार,  
गोलबाजार, संबलपुर, ओडिशा  
बैंकर्स  
भारतीय स्टेट बैंक  
संबलपुर

आईसीआईसीआई बैंक  
भुवनेश्वर

एक्सिस बैंक लिमिटेड  
संबलपुर

पंजीकृत कार्यालय  
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड,  
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर,  
ओडिशा-768020

## 7वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की 7वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को शाम 06.00 बजे एमसीएल कार्यालय, गडकना, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751017 में निम्नलिखित कार्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित होगी।

### सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2022 को लेखा परीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण तथा उसपर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की रिपोर्ट शामिल है।
2. श्री श्याम लाल गुप्ता (डीआईएन: 07598920) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) की शर्तों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।
3. श्री ओम प्रकाश सिंह (डीआईएन: 07627471) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के  
निदेशक मंडल के आदेश से  
हस्ता/-  
(ओ.पी. सिंह)  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07627471

स्थान: संबलपुर

तिथि: 15.07.2022

### टिप्पणी:

1. कॉर्पोरेट निकाय रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के उद्देश्य से या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं। अतः कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के संकल्प/ मुख्तारनामा की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें जिसमें उनके प्रतिनिधि को एजीएम से पहले या उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के तहत प्रावधानों के अनुसार कम समय की सूचना पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. जारी कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक- 13 जनवरी, 2021 को दिनांक- 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित (सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित किया है), वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) / ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम) के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने का विकल्प प्रदान कर रही है।
4. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार हैं और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि, यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से परिपत्र के अनुसार आयोजित की जा रही है, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म सूचना के साथ संलग्न नहीं है।
5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना अधिनियम की धारा 103 के अनुसार एजीएम के लिए कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
6. कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करेगी। बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से तीस मिनट पहले खोली जाएगी और पूरी एजीएम की कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए आवश्यक रजिस्ट्रारों को खुला रखा जाना चाहिए और सूचना में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए। सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा इस सूचना के प्रचलन की तिथि से एजीएम की तिथि तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cosecymcrl@coalindia.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।
8. जहां सदस्यों द्वारा मतदान की मांग की जाती है, वहां वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्य अपना वोट cosecymcrl@gmail.com पर भेजेंगे।
9. एजीएम और उपस्थिति पर्ची की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है, जब तक कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध दर्ज नहीं किया हो। एजीएम की सूचना और उपस्थिति पर्ची की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है।
10. जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते/ई-मेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दें।
12. किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य cosecymcrl@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं या नामित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क नंबर 9438877329)

**सदस्य:**

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020. (ध्यान दें: कंपनी सचिव, एमसीएल)।
2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017. (ध्यान दें: कंपनी सचिव, इरकॉन)।
3. ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, आईडीसीओ टॉवर, जनपथ, भुवनेश्वर-22 (ध्यान दें: प्रबंध निदेशक, आईडीसीओ)
4. श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी/प्रचालन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020.
5. श्री ए. हुसैन, महाप्रबंधक(पी. एंड पी.), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
6. श्री के. के. राउल, महाप्रबंधक (एल एंड आर), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020
7. श्री एस दत्ता, मुख्य महाप्रबंधक (एफ), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली- 110017

**Auditors:**

**लेखापरीक्षक:**

1. मेसर्स एस. कक्कड एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, संसड़क, संबलपुर।
2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), ओल्ड निज़ाम प्लेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020.

**निदेशक:**

- |    |                      |                            |
|----|----------------------|----------------------------|
| 1. | श्री ओ.पी. सिंह      | निदेशक (डीआईएन: 07627471)  |
| 2. | श्री केशव राव        | निदेशक (डीआईएन: 08651284)  |
| 3. | श्री पी. पारही       | निदेशक (डीआईएन: 09499859)  |
| 4. | श्री एस.एल. गुप्ता   | निदेशक (डीआईएन - 07598920) |
| 5. | श्रीमती रागनी आडवाणी | निदेशक (डीआईएन: 09575213)  |
| 6. | श्री बी.के. दास      | निदेशक (डीआईएन - 09242584) |
| 7. | श्री के.के. राउल     | निदेशक (डीआईएन: 08522021)  |

## निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की 7वीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय लेखा प्रतिवेदन, सांविधिक लेखा परीक्षक एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात है।

### 1. संगठन:

ओडिशा राज्य के रेल गलियारे को वाहनों के खास प्रयोजन(एस.पी.वी.) के अनुकूल बनाये जाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और ओडिशा औद्योगिक विकास संरचना निगम (इडको) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, इस तरह महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) को 31 अगस्त, 2015 से एक पृथक कंपनी के रूप में 64:26:10 के सहभागिता अनुपात में शामिल किया गया। इस प्रकार के उद्यमों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक सहयोग तथा आपसी तालमेल की आवश्यकता होती है। रेलवे की ओर से इसे तकनीकी सहायता और एमसीएल की ओर से व्यावसायिक समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे कोयला खदानें तार्किक चुनौतियों का सामना कर सके। रेल के बुनियादी ढांचे और रेल गलियारों के बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व के बंटवारे में निवेश करके एक सहभागी व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने पर विचार किया गया है।

समझौता ज्ञापन के अनुरूप इडको के इक्विटी शेयर के तहत भूमि का मूल्य 10% या उससे अधिक होने पर ओडिशा सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दी गई भूमि का मूल्य ओडिशा सरकार ने 10% से अधिक बढ़ाया हो तो आईडीसीओ और एमसीएल की हिस्सेदारी के प्रतिशत को उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा। ओडिशा सरकार, राज्य सरकार (राजस्व और वनभूमि) के स्वामित्व की भूमि प्रदान करेगी तथा उस भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी के अनुरूप ही समायोजित किया जाएगा। क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, कटाई तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन योजना के पश्चांतरण प्रस्ताव हेतु अन्य शुल्क एमसीआरएल द्वारा वहन किए जाएंगे। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने और दो चरणों में निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इरकॉन के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों को करने की कल्पना की गई है। संपत्ति के रखरखाव, छूट और संचालन के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ अलग समझौता करेगा।

### एम.सी.आर.एल. की परियोजना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक-11.09.2015 को आयोजित निदेशक मण्डल की पहली बैठक के दौरान एम.सी.आर.एल. ने अंगुल-बलराम-जरापाडा और एक लाइन तंतुलोई (68 किमी) खंड की पहचान अपनी पहली परियोजना के रूप में की है। इस परियोजना में मुख्य रूप से 3 लाइन जिनमें (1) अंगुल-बलराम, (2) बलराम-पुटागाडिया और (3) जरापाडा-पुटागाडिया-तंतुलोई शामिल हैं। गलियारे के अंगुल-बलराम लाइन के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी है। रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत बलराम-पुटागरिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तंतुलोई लाइन के लिए भूमि अधिगृहीत की जानी है। पूरे परियोजना को रेलवे विशेष परियोजना के रूप में घोषित किया गया है।

1. कार्य निष्पादन की मुख्य बातें:

क. एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना :

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड(एमसीआरएल) ने कोयले की निकासी हेतु ओडिशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में रेल गलियारे के विकास के लिए प्लॉट नं.-A/32, खारवेल नगर, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर में 11 मंजिला ओएसएचवी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर अपने कार्यालय की स्थापना की है। कार्यालय 01.02.2017 से उक्त पते पर कार्य कर रहा है।

ख. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) :

दिनांक:27.10.2017 को अंगुल-बलराम-पुटागाडिया-जरापाडा के डीपीआर और तंतुलोई (लगभग 68 किलोमीटर) तक एक लाइन को रेलवे बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 31.01.2018 को पूर्व तट रेलवे द्वारा डी.पी.आर. को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। 60% की बढ़ी हुई माइलेज की स्वीकृति तथा रेलवे परियोजना के लिए सी.ओ.एम., ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दिनांक 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। 60% के बढ़े हुए माइलेज और विशेष रेलवे परियोजना के लिए रेलवे से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निर्माण के दौरान मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और ब्याज सहित परियोजना की कुल लागत ₹1,700 करोड़ है।

ग. स्टैकहोल्डर के साथ बैठक :

दिनांक-18.11.2016 को ओ-डी यातायात अध्ययन में शामिल खनन योजना एवं यातायात के संबंध में भावी स्टैकहोल्डर अर्थात् नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नॉलको), सींगेरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) एवं ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ. भूमि

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु आईडीसीओ ने मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओडिशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की।

दिनांक-21.03.2016 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूमि की चौड़ाई को कम कर केवल रेल लाइन एवं इसके रख-रखाव, सड़क के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित किया जायेगा। तदुसार नवीन सर्वेक्षण किया गया एवं निर्धारित भूमि को संशोधित किया गया।

एम.सी.आर.एल. गलियारे का पूरा संरेखण मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड / आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर कार्यनीतिक रूप में रखा गया है। भारत का राजपत्र के अधिसूचना संख्या- 4171, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2018 के द्वारा अब इस पूरी परियोजना को रेलवे स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है, इसके पश्चात रेलवे अधिनियम(आरएए-2008) के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या-0709, दिनांक-14 फरवरी, 2020 के माध्यम से धारा 7 (ए) के तहत नामित किया गया है। पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर के माध्यम से दिनांक-09.06.2022 को 20ए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।

**ड. स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति:**

वर्ष 2014 के रेलवे के मॉडल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुच्छेद-20 के तहत कंसेसियनर अर्थात एमसीआरएल द्वारा आंचलिक रेलवे के अनुमोदित सूची में से एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की जाएगी, जो इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डिजाइन एवं ड्राइंग की जाँच करेगी। अतः पूर्व तट रेलवे की अनुमोदित सूची से उपरोक्त परियोजना को प्रवर्तन में लाने हेतु स्वतंत्र अभियंता के रूप में एक सलाहकार को नियुक्त किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है।

**च. ऋण के लिए बैंक के साथ संबंध स्थापित करना:**

वित्तीय अध्ययन के अनुसार अंगुल-बलराम-पुटागाडिया-टेंदुलोई-जारापाड़ा रेल गलियारे के विकास हेतु कुल व्यय रु 1700 करोड़ होगी। प्रमोटर से 30% इक्विटी लेने के पश्चात्, वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लगभग 1190 करोड़ रुपये लेने की आवश्यकता होगी। 26.11.2019 को एमसीआरएल के इनर कॉरिडोर के वित्तीय समापन यानि 1,190 करोड़ रुपये के सावधि ऋण की व्यवस्था के लिए निविदा जारी की गई है। वित्तीय समापन की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

**छ. अंगुल-बलराम खंड का निर्माण:**

निदेशक मण्डल की 6वीं बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि अंगुल-बलराम खंड के बीच कार्य वित्तीय समापन होने के बावजूद किया जाएगा। परियोजना के इस भाग के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था एमसीएल द्वारा ऋण के रूप में की जाएगी। तदुसार दिनांक-16.11.2018 को मैसर्स इरकॉन ने अंगुल-बलराम खंड का कार्य मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, झारखंड को अनुमानित लागत ₹64.69 करोड़ के साथ कार्य सौंपा, जिसे 09 महीने की अवधि में पूर्ण करना है।

एमसीआरएल ने उपरोक्त खंड के निर्माण के लिए ₹145 करोड़ की निधि की व्यवस्था के लिए एमसीएल से अनुरोध किया और प्राधिकृत पूंजी एवं चुक्ता शेयर में भी ₹100,00,00,000 (रुपये एक सौ करोड़) को 10,00,00,000 (दस करोड़) में विभाजित कर ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से वृद्धि किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

अंगुल-बलराम खंड में निर्माण कार्य जोरों पर है जो स्थानीय ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन की मदद से कार्य चल रहा है और करीब 85% कार्य पूर्ण हो चुका है।

**ज. बाहरी गलियारे(आउटर कॉरिडोर) का सर्वेक्षण :**

दिनांक-11.09.2015 को एमसीआरएल के प्रथम निदेशक मंडल की बैठक में, 'आउटर कॉरिडोर' के रूप में नामित अन्य गलियारे जैसे - टेंदुलोई-बुढापंक वाया तालबीरा, चन्द्रबिला, साखिगोपाल को लगभग 98 किलोमीटर को कंपनी द्वारा चिन्हित किया गया। अंगुल बलराम -पुटागाडिया-टेंदुलोई-जारापाड़ा रेल गलियारे की शुरुआत के पश्चात् तथा परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए इस गलियारे की प्रारम्भिक शुरुआत करने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

मुख्य सचिव/ओडिशा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक-30.09.21 को हुई समीक्षा बैठक के दौरान बाहरी गलियारे के निर्माण कार्य को एमसीआरएल से राज्य के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यम ओआरआईडीएल को ऑफलोड का निर्णय लिया गया।

डॉ. तैतुलोई से ओ.एम.सी खान का संयोजन:

ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव ने मैसर्स ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खनन योजना की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया कि तैतुलोई से वैतरणी(पश्चिम) का संयोजन रेल द्वारा किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त एवं एमडी/ओएमसी के अनुवर्ती पत्र के द्वारा एमसीएल मुख्यालय को दिनांक-02.03.2017 को सूचित किया गया था।

दिनांक-21.06.2019 को अपर सचिव (कोयला), एमओसी की अध्यक्षता में और दिनांक-03.10.2019 को संयुक्त सचिव (कोयला)/एमओसी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई कि इनर कॉरिडोर के लिए डीपीआर पहले ही स्वीकृत हो चुकी है तथा तैतुलोई को ओएमसी के बैतरनी पश्चिम ब्लॉक और एससीसीएल के नैनी ब्लॉक को जोड़ने का कार्य अलग से ब्लॉक मालिकों द्वारा इरकॉन के माध्यम से जमा आधार पर लिया जा सकता है।

### 3. पूंजीगत संरचना:

कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी में ₹100,00,00,000 (रुपए एक सौ करोड़) को 10,00,00,000 (दस करोड़) से विभाजित कर ₹10 प्रति इक्विटी शेयर प्राप्त की गई। दिनांक-31.03.2022 तक कंपनी की चुकता पूंजी रु.90,00,50,000/- थी।

संस्थापक कंपनियों की इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार हैं :

क्रमांक	संस्थापक कंपनी का नाम	31.03.2022 के अनुसार शेयर होल्डिंग पैटर्न	31.03.2021 के अनुसार शेयर होल्डिंग पैटर्न
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	71.107%	64%
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	28.887%	26%
3	ओडिशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	0.006%	10%
	कुल	100%	100%

### 4. वित्तीय परिणाम:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं-

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये लाख में)
वर्ष की आय	6.33
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को छोड़कर वर्ष के लिए व्यय	8.26
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ या हानि	(1.92)
घटाव: मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	0.00
अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय के पश्चात परंतु कर पूर्व लाभ या हानि	(1.92)
घटाव : चालू कर	0.00
कर के पश्चात लाभ या हानि	(1.92)

कंपनी निर्माण के चरण में है और परिचालन गतिविधियां अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजना के लिए प्रत्यक्षतः निश्चित हैं, को पूंजीकृत किया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों को "लाभ और हानि विवरण" के लिए प्रभारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक, कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्टिंग कंपनी) से प्रतिभूति-रहित अल्पावधि ऋण के रूप में 15134.37/- लाख रुपये लिए हैं।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (इंडियन जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के स्टैंडअलोन लेखा परीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

**5. लाभांश:**

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश को घोषित नहीं किया है।

**6. रिजर्व:**

कंपनी ने रिजर्वों में किसी भी राशि का अंतरण नहीं किया है।

**7. सरकारी राजकोष से अंशदान: शून्य**

**8. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियां:**

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल) एक सहायक कंपनी है। इसकी कोई आनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

**9. जमा:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है।

**10. जोखिम प्रबंधन:**

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन और उसके नियंत्रण हेतु अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपायों के कारण जोखिम प्रभावों को नियमित तौर पर महत्व देता है। प्रबंधन नियमित रूप से सभी जोखिमपूर्ण कार्यों पर नजर रखता है।

**11. संबंधित पार्टी से लेनदेन:**

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी के लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार पर और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटर्स, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ संपन्न लेन-देन भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं है, जिससे कि कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव उत्पन्न हो सकता है।

**12. ऋण की गारंटी व निवेश का विवरण:**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार किए गए निवेश का पूर्ण विवरण, दिए गए ऋण या गारंटी प्रदान किए गए सुरक्षा के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया जाता है, उसका खुलासा किया गया है।

**13. सतर्कता तंत्र/व्हिसिल ब्लोअर नीति :-**

एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्यूरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

**14. लेखा परीक्षक:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा फर्म को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मेसर्स एस. कक्कड एंड असोसिएट्स, सनदी लेखाकार, गोलबाजार, संबलपुर-ओडिशा।

**15. निदेशक मण्डल :**

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 7 (सात) है, जिनमें एमसीएल के अध्यक्ष तथा मनोनीत 02(दो) निदेशक, इरकॉन के मनोनीत 02(दो) निदेशक, इडको के मनोनीत 01(एक) निदेशक तथा रेल मंत्रालय के मनोनीत 01(एक) निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मण्डल की संरचना दिनांक 31.03.2022 के अनुसार निम्नवत् है-

क्रमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1.	श्री ओ.पी. सिंह	अध्यक्ष	13.03.2019
2.	श्री के. राव	निदेशक	16.12.2020
4.	श्री के.के. राउल	निदेशक	10.01.2020
5.	श्री एस.एल. गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
6.	श्री सुरेन्दर सिंह	निदेशक	01.10.2021
7.	श्री बी.के. दास	निदेशक	28.07.2021
8.	श्री ए. नरेन्द्र	निदेशक	02.08.2017

**16. बोर्ड की बैठकें**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 17.05.2021, 08.10.2021, 18.10.2021 और 13.01.2022 को बोर्ड की चार (04) बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	श्रेणी	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित
1	श्री ओ.पी. सिंह	गैर - कार्यकारी निदेशक	4	4
2	श्री के. राव	गैर - कार्यकारी निदेशक	4	4
3	श्री के.के. राउल	गैर - कार्यकारी निदेशक	4	4
4	श्री एस.एल. गुप्ता	गैर - कार्यकारी निदेशक	4	4
5	श्री एम.के. सिंह	गैर - कार्यकारी निदेशक	1	0
6	श्री एस.के. मोहांती	गैर - कार्यकारी निदेशक	1	1
7	श्री ए. नरेन्द्र	गैर - कार्यकारी निदेशक	4	4
8	श्री सुरेन्द्र सिंह	गैर - कार्यकारी निदेशक	3	3
9	श्री बी.के. दास	गैर - कार्यकारी निदेशक	3	3

**17. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) तथा कंपनी नियमावली 2014, के नियम 8(3) के साथ इसे पढ़ा जाए, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नित हैं।

**18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाये जिसमें कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की जानकारी उपलब्ध हो:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के अनुसार उपलब्ध जानकारी के तहत आपके कंपनी पर यह लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी रु 5,00,000/- प्रतिमाह या रु 60,00,000/- प्रतिवर्ष से अधिक आहरित नहीं कर रहा था या प्रबंध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबंधक और स्वयं नियंत्रण या किसी पति/पत्नी के और आश्रित बच्चे के साथ, कंपनी की दो प्रतिशत इक्विटी शेयर से अधिक आहरित नहीं करता है।

**19. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार सभी निदेशकों से अपेक्षित उत्तरदायित्व विवरणों की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि-

- 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।

3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

**20. बैंकर्स का नाम एवं पता:**

क्रमांक	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर
2	आईसीआईसीआई बैंक	सचिवालय मार्ग, बर्मा नगर, यूनिट-04, भुवनेश्वर-751001
3	एक्सिस बैंक	बुढारजा, संबलपुर

**20. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां:**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पर की गई टिप्पणियां इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं।

**21. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन:**

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में दिए गए पर्यवेक्षण को संबंधित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, जो स्वतः स्पष्ट है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत जिस पर किसी और टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट संलग्न है।

**22. वार्षिक वापसी का सार:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, वार्षिक वापसी (फॉर्म नंबर एमजीटी-7) को एमसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसका लिंक: [http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual\\_report.php](http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php) है।

**23. आभार :**

आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण ने जिला प्रशासन तथा उन सभी के प्रति जिन्होंने रेल कोरिडोर के विकास में प्रत्यक्ष

या परोक्ष रूप से समय-समय पर सहायता एवं सहयोग दिया है, के प्रति आभार व्यक्त किया है।  
आपके निदेशकगण सभी अंशधारियों को प्रबंधन का लगातार सहयोग देने तथा विश्वास बनाये रखने हेतु धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपके निदेशकगण कर्मचारियों एवं उनके संगठनों के सभी स्तरों पर प्रगति प्राप्त करने एवं लक्ष्य के निकट पहुँचने हेतु किए गए अथक प्रयास और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।  
आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के महानिदेशक (कोयला) कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा दर्ज की है।

**24. परिशिष्ट:**

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :

1. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना (अनुलग्नक-I) में दी गई है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट (अनुलग्नक-II) में दी गई है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक-III) में दी गई है।

दिनांक: 15.07.2022  
स्थान: संबलपुर

हस्ता/  
(ओ.पी. सिंह)  
अध्यक्ष

## ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) तथा निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के साथ पढ़ा जाए)

### (क) ऊर्जा संरक्षण-

- (i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव: शून्य
- (ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए उठाए गए कदम: शून्य
- (iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत व्यय: शून्य

### (ख) प्रौद्योगिकी समावेशन-

- (i) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किये गए प्रयास : शून्य
- (ii) उत्पादन सुधार, लागत में कमी, उत्पादन विकास या आयात विकल्प आदि से प्राप्त लाभ: शून्य
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी (गत तीन वर्षों के दौरान आयातित जिसे वित्तीय वर्ष के शुरू से माना गया) के मामले में : शून्य
- (iv) अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय: शून्य

### (ग) विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं व्यय-

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है एवं इस तरह कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है। विदेशी विनिमय के तहत आय तथा व्यय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं की गई है।

(लाख रुपये में)

विवरण	2021-2022
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा (निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य)	-
प्रयुक्त कुल विदेशी मुद्रा :	
i) कच्चा माल	-
ii) उपयोग योग्य भंडार	-
iii) पूंजीगत सामग्री	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,  
सदस्यगण,  
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड  
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन  
मत

हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (तत्पश्चात "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, हमारी मत में, हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरणों की जानकारी को सत्य और निष्पक्ष रूप में देते हैं तथा 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

## मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों में उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे वृत्तिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन मामलों को समग्र रूप से हमारी राय बनाने एवं वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबंधित किया गया था और इन मामलों में हम अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

अंकेक्षण मानक 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मौलिक लेखापरीक्षा मामले इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

### वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें बोर्ड का रिपोर्ट तथा उसके अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारियों की संपुष्टि नहीं करती है और हम ऐसे आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय उन तथ्यों पर भी, विचार करते हैं जो अन्य जानकारी यथा: वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वे जानकारी जो भौतिक रूप से गलत पाया गया हो।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री यदि गलत हैं, तो हम उन तथ्यों की रिपोर्ट करते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में संबंधित मामलों के निपटान के लिए कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कथन का सही और निष्पक्षता देते हैं। कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाये रखें, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने व बनाए रखें, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करते हैं, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराते हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा चालू समुत्थान से संबंधित मामले को आवश्यकता अनुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रूप से यह इन वित्तीय वक्तव्यों

के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम वृत्तिक निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान वृत्तिक लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम भी :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे यह धोखेबाजी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रूप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का घोषणा सहित मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन विधि के लोगों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं

जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन:

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है, के तहत हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार है:
  - i. हमने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद थे।
  - ii. हमारी राय में, अब तक के उन बहियों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों को कंपनी ने रखा है।
  - iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।
  - iv. हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।
  - v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
  - vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

- vii. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- क. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
- ख. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को निधि में अंतरित करने में विलंब नहीं होती है।

कृते एस.कक्कड़ एण्ड असोसिएट्स,

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 317066E

ह/-

(सुनील कक्कड़)

सदस्यता संख्या 053159

UDIN:22053159AINAIH1487

दिनांक: 06.05.2022

स्थान: संबलपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि-

i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

- क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति एवं संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- ख. उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा संपत्ति के उपयोग के अधिकार का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई एवं हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता उचित है।
- ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई शीर्षक विलेख नहीं है।
- घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) क) कंपनी के पास कोई सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टी में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या स्थायी गारंटी की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या किसी अन्य संस्था को सुरक्षा प्रदान नहीं की है और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- ख. हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें मुख्य दृष्ट्या हैं, जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।
- ग. स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मूलधन की अदायगी और ब्याज के चुकौती की समय-सारणी निर्धारित की गई है और मूलधन का भुगतान और ब्याज की प्राप्ति आमतौर पर नियमानुसार नियमित होती हैं।
- घ. कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।
- ङ. कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान देय हो गया है या एक ही पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए दिए गए विस्तारित या नए ऋण का नवीनीकरण नहीं किया गया है
- च. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने कंपनियों, फर्मों के लिए सुरक्षित या असुरक्षित, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम नहीं दिया है।

- iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में कोई मामला नहीं बनता है।
- v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में:
- क. हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशियाँ जो उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू होते हैं, को जमा करने में नियमित रही है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में 31 मार्च, 2022 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

viii) क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

क. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जान-बूझकर दोषी घोषित नहीं किया गया है।

ख. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

ङ. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ix) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय ऋण पत्र (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट इस रिपोर्ट की तिथि तक दर्ज नहीं किये गए हैं।

ग) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी द्वारा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

- xi) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xii) कंपनी, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टि लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।
- xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv)(क) और (xiv)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xvi) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए पूर्व-संचालन खर्चों के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।
- xvii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- xviii) वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन पत्र की तिथि में मौजूद अपनी देनदारियों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन

देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियां गिरावट के कारण कंपनी द्वारा खारिज कर दी गई हैं।

- xix) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते एस.कक्कड़ एण्ड असोसिएट्स,

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 317066E

ह/-

(सुनील कक्कड़)

सदस्यता संख्या 053159

UDIN:22053159AINAIH1487

दिनांक: 06.05.2022

स्थान: संबलपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक -2

वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

क्र.	विशेष	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए।	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण /बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन/ छूट/बट्टे खाते में ऋण/उधार/ ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - 3

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप-खण्ड 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन(रिपोर्टिंग) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

31 मार्च, 2022 कंपनी के रूप में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किये गये लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रखरखावों से संबंधित हैं जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय किया जा रहा है। (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व कंपनी की संपत्ति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च, 2022 के अनुसार ऐसे वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

कृते एस.कक्कड़ एण्ड असोसिएट्स,

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 317066E

ह/-

(सुनील कक्कड़)

सदस्यता संख्या 053159

UDIN:22053159AINAIH1487

दिनांक: 06.05.2022

स्थान: संबलपुर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) (के तहत महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उल्लेख उनके द्वारा दिनांक 06 मई 2022 को की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) (के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) (के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

कृते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर- /

(मौसमी राय भट्टाचार्य)

महानिदेशक लेखापरीक्षा) कोल

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 08.07.2022

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड  
31 मार्च 2022 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
<u>परिसंपत्तियाँ</u>	संख्या		
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	19.61	21.51
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	18,215.77	11,286.77
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.2	-	-
(f) Investment Property		-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(छ) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवला)		-	-
(ज) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	6,938.26	834.63
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		25,173.64	12,142.91
चालू संपत्तियाँ			
(a) वस्तु- सूची	12	-	-
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार देय	13	-	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	434.77	78.52
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	3.11	0.95
(c) चालू कर परिसंपत्तियाँ (सकल)		0.84	0.23
(d) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	0.11	0.72
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		438.83	80.42
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		25,612.47	12,223.33

	टिप्पणी	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
<b>इक्विटी एवं देयताएँ</b>			
<b>इक्विटी</b>			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	9,000.50	5.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	-93.44	-91.51
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण जिम्मेदार इक्विटी		8,907.06	-86.51
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
<b>कुल इक्विटी (क)</b>		<b>8,907.06</b>	<b>-86.51</b>
<b>देयताएँ</b>			
<b>गैर-चालू देयताएँ</b>			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय		-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	-	-
<b>कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>चालू देयताएँ</b>			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय	19	-	-
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		9.41	8.49
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	16,680.76	12,295.84
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	15.24	5.51
(ग) प्रावधान	21	-	-
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
<b>कुल चालू देयताएं (ग)</b>		<b>16,705.41</b>	<b>12,309.84</b>
<b>कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)</b>		<b>25,612.47</b>	<b>12,223.33</b>

साथ में दिए गए टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(बी. के. परिखा)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-  
(एस नायक)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कुने एस. काकाड एंड एटोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजी संख्या. - 317066ई

ह/-  
(केशव राव)  
निदेशक  
बीआईएन: 08651284

ह/-  
(ओ. पी. सिंह)  
अध्यक्ष  
बीआईएन: 07627471

ह/-  
(सीए सुनील फकाड)  
स्वामित्व  
(सहस्यता सं. 053159)

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड  
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	संख्या		
<b>प्रचालन से राजस्व</b>			
क. विक्रय (सांविधिक लेवी का निवल)	24	-	-
ख.अन्य प्रचालन राजस्व (वैधानिक लेवी का निवल)		-	-
<b>i.प्रचालन से राजस्व (क+ख)</b>		-	-
ii.अन्य आय	25	6.33	2.24
<b>iii.कुल आय (I+ii)</b>		<b>6.33</b>	<b>2.24</b>
<b>(IV) व्यय</b>			
खपत की गई सामग्री की लागत	26	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद		-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं			
व्यापार में स्टॉक	27	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	28	-	-
ऊर्जा व्यय		-	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	-	-
मरम्मत	30	-	-
संविदात्मक व्यय	31	-	-
वित्त लागत	32	-	-
मूल्यहास/परिशोधन/हानि व्यय		-	-
प्रावधान	33	-	-
बट्टे खाते में डालना	34	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
अन्य व्यय	35	8.26	7.95
<b>कुल व्यय (IV)</b>		<b>8.26</b>	<b>7.95</b>
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/सहयोगी के लाभ/(हानि) (III-IV)		-1.92	-5.71
(VI) संयुक्त उद्यम के शेयर /सहयोगियों के लाभ/(हानि)			
(VI) असाधारण मद		-	-
<b>(VII) कर पूर्व लाभ (V+VI)</b>		<b>-1.92</b>	<b>-5.71</b>
(VIII) कर व्यय	36		
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय (VIII)		-	-
<b>(IX) सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)</b>		<b>-1.92</b>	<b>-5.71</b>
(X) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
<b>(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)</b>		<b>-1.92</b>	<b>-5.71</b>

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड  
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>(XIV) अन्य व्यापक आय</b>			
क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।	37	-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
<b>(XV) कुल अन्य व्यापक आय</b>		-	-
<b>(XVI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)</b>		<b>-1.92</b>	<b>-5.71</b>
<b>लाभ के लिए जिम्मेदार :</b>			
कंपनी के स्वामित्व		-1.92	-5.71
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		<b>-1.92</b>	<b>-5.71</b>
<b>अन्य व्यापक आय के कारण :</b>			
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-	-
<b>कुल व्यापक आय के कारण :</b>			
कंपनी के स्वामित्व		-1.92	-5.71
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		<b>-1.92</b>	<b>-5.71</b>
<b>XVII प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):</b>			
(1) मौलिक		-0.01	-11.42
(2) मंदित		-0.01	-11.42
<b>XVIII प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::</b>			
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-
<b>XIX प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):</b>			
(1) मौलिक		-0.01	-11.42
(2) मंदित		-0.01	-11.42

साथ में दिए गए टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(बी. के. परीक्षा)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-  
(एस नायक)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते एस. काकाडू एंड एसोसिएट्स  
सहरी लेखाकार  
फर्म पंजी संख्या - 317066ई

ह/-  
(केसाय राय)  
निदेशक  
बीआइएन: 08651284

ह/-  
(ओ. पी. सिंह)  
अध्यक्ष  
बीआइएन: 07627471

ह/-  
(सीए सुनील काकाडू)  
स्थानित्व  
(सदस्यता सं. 053159)

दिनांक: 06.05.2022

स्थान: सम्यलपुर

नगद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में)

		दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय		(1.92)	(5.71)
के लिए समायोजन :			
दीर्घावधि उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव का हानि		-	-
अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास / हानि		-	-
बैंक जमाओं से ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्त लागत		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
अवधि के दौरान प्रावधान एवं बटुटे खाते में डालना		-	-
अवधि के दौरान देयता राईट बैंक		-	-
चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व परिचालन लाभ		(1.92)	(5.71)
के लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्त		-	-
वस्तु-सूची		-	-
लघु/दीर्घ अवधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		(6,105.79)	20.78
लघु/दीर्घ अवधि देयताएँ एवं प्रावधान		4,395.57	5,050.63
प्रचालन से नगद प्राप्ति		(1,710.23)	5,071.41
आय कर का भुगतान / वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से नियल नगद प्रवाह	(क)	(1,712.15)	5,065.69
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		(6,923.80)	(5,039.28)
अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास / हानि		(3.30)	-
बैंक जमा में निवेश		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से नियल नगद	(ख)	(6,927.10)	(5,039.28)

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		8,995.50	
शेयर पूंजी का निर्गम		-	-
अल्पावधि उधार की वृद्धि / पुनः भुगतान		-	-
आवेदन राशि साझा करना		-	-
उधर का पुनर्भुगतान		-	-
अल्पावधि उधार		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		-	-
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
लाभान्श और लाभान्श कर		-	-
इविचटी शेयर पूंजी का पुनः खरीद		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नियत नकद	( ग )	8,995.50	-
नगद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		356.25	26.41
नगद और बैंक शेष (प्रारंभिक शेष)		78.52	52.11
नगद और बैंक शेष (अंतिम शेष)		434.77	78.52

साथ में दिए गए टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(बी. के. परिया)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-  
(एस नाथक)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कुनो एस. काकड़ एंड एसोसिएट्स  
सदरी लेखाकार  
फर्म पंजी संख्या - 317066ई

ह/-  
(केशव राव)  
निदेशक  
डीआईएन: 08651284

ह/-  
(ओ. पी. सिंह)  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07627471

ह/-  
(सीए सुनील काकड़)  
स्थापित्व  
(सदस्यता सं. 053159)

दिनांक: 06.05.2022

स्थान: सम्बलपुर

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए इन्वियटी में परिवर्तन का विवरण

क. इन्वियटी शेयर पूंजी  
31 मार्च 2022 तक

विवरण	01-04-2021 तक शेष	वर्ष के दौरान इन्वियटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 तक पुनःवर्णित शेष	धालू अवधि के दौरान इन्वियटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 तक शेष
90005000 प्रत्येक ₹10/- के पूर्ण प्रदत्त 90005000 इन्वियटी शेयर	5.00	-	5.00	8,995.50	9,000.50

31 मार्च, 2021 तक

विवरण	01-04-2020 तक शेष	वर्ष के दौरान इन्वियटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2020 तक पुनःवर्णित शेष	धालू अवधि के दौरान इन्वियटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 तक शेष
प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 50000 इन्वियटी शेयर	5.00	-	5.00	-	5.00

ख. अन्य इन्वियटी

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अग्रय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्गोप (कर नियत) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2021 तक शेष	-	-	-91.51	-	-91.51
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-1.92	-	-1.92
अन्तरिम सामंश	-	-	-	-	-
अंतिम सामंश	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान सामायोजन (मुद्रमा से स्या.)	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	-	-	-93.44	-	-93.44

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अग्रय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्गोप (कर नियत) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2020 तक शेष	-	-	-85.80	-	-85.80
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-5.71	-	-5.71
अन्तरिम सामंश	-	-	-	-	-
अंतिम सामंश	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान सामायोजन	-	-	-	-	-
31.03.2021 तक शेष	-	-	-91.51	-	-91.51

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(बी. के. परिडा)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-  
(एस नायक)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते एस. कलाइ एंड एसोसिएट्स  
सहदी लेखाकार  
कर्म पंजी संख्या. - 317066ई

ह/-  
(के.राव राय)  
निदेशक  
होगार्इफन: 08651284

ह/-  
(ओ. पी. सिंह)  
अध्यक्ष  
होगार्इफन: 07627471

ह/-  
(सीए सुनील कलाइ)  
स्वामिन्व  
(सदस्याता सं. 053159)

दिनांक: 06.05.2022

स्थान: सम्बलपुर

## वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

### नोट 1 : कॉर्पोरेट जानकारी

#### कंपनी का संक्षिप्त विवरण:

ओडिशा राज्य में रेल कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईडीसीओ) के बीच एक समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए गए । तदुसार, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम पर एक अलग कंपनी की स्थापना की गई, जिसका इक्विटी भागीदारी अनुपात 64:26:10 था, जिसे 31 अगस्त 2015 को निगमित किया गया था। ऐसा उद्यम केंद्र और राज्य सरकारसे प्रशासनिक सहायता,, रेलवे से तकनीकी सहायता और कोयला खदानों के सामने आने वाली रसद चुनौतियों का सामना करने के लिए एमसीएल से वाणिज्यिक सहायता प्राप्त करके तालमेल बनाता है। रेल संरचना में निवेश करके और रेल कॉरिडोर से यातायात से उत्पन्न राजस्व को साझा करके एक सहभागी व्यवसाय मॉडल के माध्यम से उद्यम में बने रहने के लिए इसकी अवधारणा की गई है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार ओडिशा सरकार(जीओओ) द्वारा प्रदत्त भूमि का मूल्य, आईडीसीओ इक्विटी का हिस्सा के समतुल्य या 10% से अधिक,इनमें से जो भी अधिक हो,होगा। यदि ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के मूल्य इक्विटी के 10% से अधिक है, तो आईडीसीओ और एमसीएल की शेरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित मानी जाएगी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि (राजस्व और वन भूमि) ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं ऐसे भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी में समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनीकरण प्रतिपूर्ति लागत , वर्तमान शुद्ध लागत,, वल्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, कटाई और वन योजना परिवर्तन प्रस्ताव के लिए अन्य शुल्क एमसीआरएल द्वारा वहन किया जाएगा। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियों को अंजाम देने और दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। संपत्तियों की रखरखाव, संचालन और रियायत के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ समझौते करेगा।

### नोट :2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

#### 2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम") 2013 ,अधिनियम ("भारतीय लेखा मानक (नियम 2015 ,की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ) इंड एस (के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ii वित्तीय विवरण माप की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं ,सिवाय को छोड़कर

- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय आस्तियां और देनदारियां ) पैरा 2.14 में वित्तीय लिखतों पर लेखा नीति देखें;
- परिभाषित लाभ योजनाएं -उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां;
- लागत पर माल सूची या एनआरवी जो भी कम हो ) पैरा संख्या 2.20 में लेखा नीति देखें।

### 2.1.1 राशियों का पूर्णांकन

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को ,जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो ,दो दशमलव बिंदुओं तक ' लाख रुपये में 'पूर्णांकित किया गया है।

### 2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब):

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति का एहसास करने की उम्मीद करता है ,या इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;

)बी (यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संपत्ति रखता है;

)सी (यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की वसूली की उम्मीद करता है ; अथवा

)डी (परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है )जैसा कि इंड एस 7में परिभाषित किया गया है (जब तक कि परिसंपत्ति का आदान-प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा एक दायित्व को चालू माना जाता है जब:

)ए (यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता को निपटाने की उम्मीद करता है;

)बी (यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए देयता रखता है;

)सी (रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है ;या

)डी (रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है । एक दायित्व की शर्तें ,जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर ,इक्विटी लिखतों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणामित हो सकती हैं ,इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

### 2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करता है।

इंड एस 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान करना:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

- क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- ख) कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;
- ग) कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;
- घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है )अर्थात् कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम ,समय या राशि अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है(; तथा
- ङ) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी उस प्रतिफल को एकत्र करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी ,यह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत ,छूट ,छूट , धनवापसी ,क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन की हकदार हो सकती है ,प्रदर्शन बोनस ,या इसी तरह के आइटम।

#### अनुबंधों का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके निकट किए गए दो या दो से अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और अनुबंधों के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में खाता है यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंड पूरे होते हैं:

- क) अनुबंधों पर एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है;
- ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या
- ग) अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

#### अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अनुबंध संशोधन के लिए एक अलग अनुबंध के रूप में जिम्मेदार है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हैं:

क) वादा किए गए सामान या सेवाओं को जोड़ने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ता है जो अलग हैं और

ख) अनुबंध की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

**चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान करना:**

अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान करती है जो प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करता है:

- क) एक सामान या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या
- ख) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनका ग्राहक को हस्तांतरण का समान पैटर्न है।

**चरण 3: लेन-देन की कीमत निर्धारित करना**

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की अपेक्षा करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित की गई राशि शामिल नहीं है। एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, एक कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनशील विचार;
- परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को सीमित करना;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन निष्पादन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी अलग-अलग हो सकता है यदि प्रतिफल के लिए कंपनी की पात्रता किसी भावी घटना के घटित होने या न होने पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन की कीमत निर्धारित करने में दंड निहित है, यह परिवर्तनीय प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या सभी राशि को केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में हल किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिफल राशि को समायोजित नहीं करती है, यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिवद्ध माल या सेवाओं को

हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और, इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस भुगतान की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए, प्रतिवद्ध किए गए वस्तुओं या सेवाओं के लेन-देन में हकदार होने की उम्मीद करती है।

**चरण 4: लेनदेन मूल्य आवंटित करना:**

लेन-देन की मूल्य आवंटित करते समय कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना होता है, जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए लेन-देन में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबन्धित स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तु या सेवाओं के अनुबंध के प्रारम्भ पर स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

**चरण 5: राजस्व की मान्यता:**

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। एक वस्तु या सेवा को तब स्थानांतरित किया जाता है जब (या के रूप में) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न में से कोई एक मानदंड पूरा होता है:

क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है और जितनी परिसंपत्ति बनाई या बढ़ाई हुई है उतनी ग्राहक नियंत्रित करता है।

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को मान्यता देने के लिए आउटपुट विधियों को लागू करती है। आउटपुट विधियों में ऐसे तरीके शामिल हैं जैसे कि आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धियां, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या वितरित इकाइयाँ।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने के लिए अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक- 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुरूप माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी राजस्व के रूप में लेनदेन मूल्य की राशि को मान्यता देती है (जिसमें परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान शामिल नहीं होते हैं जो उस प्रदर्शन दायित्व को आवंटित किए जाते हैं।)

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं होता है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। उस समय का निर्धारण करने के लिए जिस पर ग्राहक एक वादा किए गए वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;

ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा स्वीकार कर ली है।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

**अनुबंध संपत्ति:**

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लेन-देन में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो सशर्त है।

**व्यापार प्राप्य:**

एक प्राप्य कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है जो बिना शर्त है (यानी, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

**अनुबंध देयताएं:**

अनुबंध दायित्व ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने का वह दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि बकाया है) प्राप्त हुई है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

**ब्याज:**

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

**लाभांश**

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

**अन्य दावे**

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब तब लिया जाता है, जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है।

**2.4 सरकार से अनुदान**

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों के खर्चों के रूप में पहचान करती है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान, अर्थात् संपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

प्रमोटर के योगदान की प्रकृति में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूँजीगत रिजर्व" में मान्यता दी जानी चाहिए जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा है।

## 2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी मान्यता प्राप्त संपत्ति के उपयोग को विचाराधीन समयावधि के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

### 2.5.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज देयता को लीज देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, लीज भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके और तथा पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन दर्शाने हेतु वहन राशि को पुनरांकित कर आँका जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यहास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

### 2.5.2 कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे - परिचालन पट्टों से पट्टे के भुगतान को या तो एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्त पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

### 2.6 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और ( या निपटान समूहों ) लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या बेचने का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान शामिल है, जब एक्सचेंज में वाणिज्यिक पदार्थ होता है। बिक्री के लिए आयोजित वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों या निपटान समूहों (की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री है अत्यधिक संभावना है; और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति) या निपटान समूह (को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति) या निपटान समूह (को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से उस कीमत पर विपणन किया जा रहा है जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- बिक्री को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

## 2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

ऐतिहासिक कीमत पर भूमि का वहन किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक वस्तु को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में शामिल हैं:

(क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी कराया मूल्य शामिल हो।

(ख) प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए संपत्ति को स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।

(ग) आइटम को तोड़ने एवं हटाने और उस स्थल को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर वह स्थित है, दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होता है, उस अवधि के दौरान वस्तु का उत्पादन करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अवधि।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु का प्रत्येक भाग एक लागत के साथ जो अलग से मूल्यह्रास की गई वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण हिस्से को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रति-दिन सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु के निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

#### अन्य भूमि

(पट्टे की भूमि सहित: (परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो

भवन	: 3-60 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग (ग) के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ मर्दों जैसे, कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, दुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर। जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिनियम और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अनतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से मूल्यहास संपत्ति, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

### भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने के लिए चुना है (पिछले जीएएपी के अनुसार इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है और जैसा कि मापा गया है)

### 2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियों में पूंजीकृत लागतें शामिल हैं जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज के लिए जिम्मेदार हैं, तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और एक मान्यता प्राप्त संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लंबित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययनों के माध्यम से अन्वेषण डेटा एकत्र करना;
- खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रैचिंग और नमूनाकरण;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना;
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक समय अपेक्षित मूल्य लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के शोषण से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण के लंबित परियोजना के आधार पर अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार भंडार निर्धारित होना प्रमाणित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता

है। हालांकि, अगर साबित हो जाए कि भंडार निर्धारित नहीं किया गया है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

## 2.10 विकास व्यय

### वाणिज्यिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए किसी परियोजना/खान की व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

- क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उस वर्ष के तुरंत बाद जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रेटेड क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या
- ख) कोयले के उत्पादन के दो 2 साल, या
- ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

जो भी घटना पहले होती है;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना "नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

## 2.11 अमूर्त संपत्ति

अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर गणना की गई) और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, से कम लागत पर ले जाया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त, पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति खराब हो सकती है तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना

जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी गई है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तिया (अर्थात् सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉकों के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो भी कम हो, शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

## 2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में संपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य और इसके उचित मूल्य से अधिक है और निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि नकदी पैदा करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे संपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणी राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणी राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

## 2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) किराए पर या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए, उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल हैं।

निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है।

## 2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

### 2.14.1 वित्तीय आस्तियां

#### 2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार स्थान) नियमित तरीके से व्यापार (में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात्, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

#### 2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय आस्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय (FVTOCI) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय (FVTOCI) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी साधन

#### 2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण साधन

एक ऋण साधन 'को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और
- ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तारीखों पर जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या

हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

#### 2.14.2.2 एफ़वीटीओसीआई पर ऋण लिखत

एक ऋण साधन 'को FVTOCI के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और
- ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ़वीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी एंड एल में ब्याज आय, खराबी के कारण हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफ़वीटीओसीआई ऋण साधन को धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

#### 2.14.2.3 एफ़वीटीपीएल पर ऋण साधन

एफ़वीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफ़वीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफ़वीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफ़वीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफ़वीटीपीएल में है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कंपनी ने एफ़वीटीपीएल के रूप में कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफ़वीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को पीएंडएल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

#### 2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (को पहली बार अपनाई गई भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार परिवर्तनीय तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की अग्रणी राशि को मानी गई लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित है।

#### 2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव इंस्ट्रूमेंट बाय- इंस्ट्रूमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधनों पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर ओसीआई से पीएंडएल की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

#### 2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा को प्राथमिक रूप से अमान्य हो जाती है यानी बैलेंस शीट से हटा दी जाती है। जब :

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो)
  - क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या
  - ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के न्यूनतम हिस्से में और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है मापा जाता है।

#### 2.14.2.7 वित्तीय आस्तियों की क्षति( उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुसार , कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम, जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल ) मॉडल लागू करती है।

(क ) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं ,और परिशोधन लागत पर मापा जाता है जैसे- ऋण ,ऋण प्रतिभूतियां ,जमा ,व्यापार प्राप्त्य और बैंक शेष

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है

(ग ) भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्राप्तियां

(घ ) व्यापार प्राप्त्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है और जो भारतीय लेखांकन मानक 115 के अंतर्गत होता है ।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि, हानि भत्ता की मान्यता के लिए' सरलीकृत दृष्टिकोण 'का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्त्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां ;तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणाम स्वरूप सभी पट्टा प्राप्तियां।

सरलीकृत दृष्टिकृत के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय ,यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर ,इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही ,आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ता को मान्यता देता है।

#### 2.14.3 वित्तीय देनदारियां

##### 2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय ,ऋण और उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है ,और ऋण और उधार और देय राशि के मामले में , लेनदेन लागतों को घटाकर दर्शाया जाता है।

##### 2.14.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है ,जैसा कि नीचे वर्णित है:

##### 2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि के रूप में नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के लिए ओसीआई, में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में पी एंड एल को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से किसी भी वित्तीय दायित्व को उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

#### 2.14.3.4 परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज दर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

#### 2.14.3.5 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय दायित्व को अमान्य कर दिया जाता है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। एक वित्तीय देयता ( या एक वित्तीय देयता का हिस्सा ) की अग्रणी राशि के बीच का अंतर समाप्त हो गया या किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित कर दिया गया और भुगतान की गई किसी भी गैर-नकद संपत्ति को हस्तांतरित या ग्रहण की गई देनदारियों सहित, लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

#### 2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी लिखत और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम होने की उम्मीद है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करते हैं जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी दलों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी ऐसी गतिविधि करना शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी पुनर्वर्गीकरण को लागू करती है जो कि व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि ( हानि लाभ या हानि सहित ) या ब्याज को पुनः नहीं बताती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण को दर्शाती है और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन प्रसंस्करण
ऋज चुकाने की लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनःवर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को पी एंड एल में मान्यता दी गई है।
एफवीटीपीएल	ऋज चुकाने की लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
ऋज चुकाने की लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई में मान्यता दी गई है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
एफवीटीओसीआई	ऋज चुकाने की लागत	पुनः वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधन लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओ सीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्ति को मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधन लागत पर मापा गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई अग्रणीत राशि बन जाती है। जिसमें किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनःवर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

#### 2.14.5 वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और समेकित बैलेंस शीट में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार हैं एवं शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है, तो देयताओं को प्राप्त करने के साथ ही साथ परिसंपत्तियों की वसूली और निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

#### 2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और नकद समतुल्य जिसमें बैंकों में नकद और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा शामिल

हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध बकाया उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

### 2.15 उधार लेने की लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हों, तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो आस्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों के लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है, जब तक कि आस्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

### 2.16 कर-निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

*वर्तमान कर* एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय राशि (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से उत्पन्न होता है या लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि सभी या आस्थगित कर संपत्ति के हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटान किया गया है या संपत्ति का एहसास हुआ है, जो कर की दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि को पुनर्प्राप्त या व्यवस्थित करने के लिए कंपनी को उम्मीद है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

## 2.17 कर्मचारी लाभ

### 2.17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

### 2.17.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

#### 2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए एक रोजगार के बाद लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

#### 2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक रोजगार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है। लाभ को इसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटा दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आवेदन में छूट दर, संपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर, भविष्य के वेतन में वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक एकचुअरी द्वारा प्रत्येक बैलेंस शीट पर गणना की जाती है। जब गणना से कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से भविष्य में किसी भी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य या योजना में भविष्य के योगदान में कमी तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है यदि यह योजना के जीवन के दौरान, या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त करने योग्य है।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं, योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ (ब्याज को छोड़कर) और आस्तियों की उच्चतम सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी उस अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है, जो उस समय की शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) की वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए लागू करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

### 2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि समान आधार पर मान्यता प्राप्त हैं, जो ऊपर परिभाषित लाभ योजना में वर्णित हैं। परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित अनुसार आधार। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

### 2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (INR) में है जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें वह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

## 2.20 इन्वेंटरी

### 2.20.1 स्टोर और स्पेयर

सैंट्रल और एरिया स्टोर्स में स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें लूज टूल्स भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेजर में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारत औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-भंडार/ड्रिलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोर और पुर्जों के लिए 50% दर से प्रावधान किए गए हैं।

### 2.20.3 अन्य इन्वेंटरी

वर्क-इन-प्रोग्रेस सहित वर्कशॉप जॉब्स को लागत पर महत्व दिया जाता है। प्रेस में मुद्रित कार्य का स्टॉक (प्रगति में काम सहित) और प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं का मूल्य लागत पर है। हालांकि, स्टेशनरी के स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़े रहने के अलावा) ईंटों, रेत, दवा (केंद्रीय अस्पतालों को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्कैप को उनके मूल्य के महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण सूची के विचाराधीन नहीं है।

## 2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी को निपटाने के लिए और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां पैसे का समय मूल्य भौतिक है, प्रावधान को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताया गया है।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है, तो संबंधित परिसंपत्ति एक आकस्मिक संपत्ति नहीं है और इसकी मान्यता उचित है।

## 2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना, कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके और साथ ही सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से की जाती है।

## 2.23 निर्णय, अनुमान और अनुमान

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा हैं, रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और, यदि भौतिक हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

### 2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

#### 2.23.1.1 लेखा नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में जो विशेष रूप से एक लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर लागू होता है, प्रबंधन ने एक लेखा नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी होती है:

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

ख) उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता

- 1) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं
- 2) न कि केवल कानूनी रूप को दर्शाता है बल्कि लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को दर्शाता है।
- 3) निष्पक्ष हैं, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त हैं
- 4) विवेकपूर्ण हैं; और
- 5) लगातार आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है ,और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

- क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं ; तथा
- ख) परिभाषाएँ,परिभाषित मानदंडों और परिसंपत्तियों की माप अवधारणाएं , देनदारियों ,आय और व्यय के लिए रूपरेखा ।

निर्णय लेने में , प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की सबसे हाल के ही घोषणाओं पर विचार करता है और इसके अभाव में अन्य मानक-सेटिंग निकायों के उन पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों ,अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं। ये उपरोक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ कुछ हद तक संघर्ष नहीं करते हैं।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है( एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण ,मूल्यांकन ,विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रहे पट्टे की अवधि में फैले विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन इलाके पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन के लिए प्रवण होते हैं ) लेखांकन नीतियां जिनके आधार पर विकसित हुई हैं अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं पर और पिछले कई दशकों में इसके लगातार आवेदन के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य ,मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभावित रूप से हिसाब किया जाएगा।

लेखांकन के सटीक आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

### 2.23.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखांकन मानक उन मदों पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन निर्णय का उपयोग यह तय करने में करता है कि क्या व्यक्तिगत आइटम या आइटम के समूह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हैं। भौतिकता को प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है । निर्णय लेने वाला कारक यह है कि क्या किसी जानकारी को छोड़ना या गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक की अनुपालन आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है । इसके अलावा ,कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अभौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है ।

दिनांक 01.04.2019 के पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों / चूक को सारहीन माना जा सकता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जा सकता है ,यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं हैं ।

### 2.23.1.3 ऑपरेटिंग लीज

कंपनी ने लीज एग्जीमेंट किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है ,जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। परिचालन पट्टों

के रूप में अनुबंधों के लिए इन संपत्तियों और खातों के स्वामित्व के इन सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार और संपत्ति का उचित मूल्य को बरकरार रखता है

### 2.23.2 आकलन और अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है जो नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

#### 2.23.2.1 गैर-वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पादन इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है, हानि का एक संकेत है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य एक डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं हैं जो कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

#### 2.23.2.2 कर

आस्थगित कर आस्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए हानियों का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे वह पहचाना जा सकता है।

#### 2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपयुक्त

छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन सरकारी बांडों की ब्याज दरों को रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में मानता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित है।

#### 2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नगदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट / जैसे विचारधीन निवेश शामिल हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिए गए उचित मूल्य को प्रभावित करता है।

#### 2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

#### 2.24 प्रयुक्त संक्षिप्त नाम

क) सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई
ख) डीसीएएफ	नगदी आय जन्य निवेश
ग) एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से चित मूल्य
घ) एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ) जीएएपी	लेखा सिद्धांत आम तौर पर स्वीकार किये जाते हैं
च) इंड. एएस	भारतीय लेखा मानक
छ) ओआईसी	अन्य व्यापक आय
ज) पी एंड एल	लाभ और हानि
झ) पीपीई	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
ञ) एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान
ट) ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 3 : संपत्ति, संवत्त एवं उपकरण

(रु. लाख में)

श्रीलक्ष्मी भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / वाइड सुधार/संवत्त कागत	संवत्त एवं उपकरण	दूरसंचार	सूचक साईडिंग	फर्नीचर व फिक्स्चर	कार्योत्पन्न उपकरण	वाहन	अन्य आधारभूत रचना	सर्वेड और परिसंपत्तियाँ	रेंट कोरिडोर	अन्य	कुल
कुल चक्र प्रति:													
01.04.2020 तक						32.96	0.69						33.59
वर्द्ध							1.39						1.39
विलोपन / वजावट													
31 मार्च, 2021 तक						32.96	2.02						34.98
01.04.2021 तक						32.96	2.02						34.98
वर्द्ध							1.40						1.40
विलोपन / वजावट													
31 मार्च, 2022 तक						32.96	3.42						36.38
संचित मूल्यवृद्धि और हानि						9.12	0.62						9.74
01.04.2020 तक						3.02	0.20						3.22
वर्द्ध के लिए प्रभार हानि							0.51						0.51
विलोपन / सन्वयोजन						12.24	1.33						13.47
31 मार्च, 2021 तक						12.14	1.33						13.47
01.04.2021 तक						3.01	0.29						3.30
वर्द्ध के लिए प्रभार हानि													
विलोपन / सन्वयोजन						15.15	1.62						16.77
31 मार्च, 2022 तक						17.81	1.80						19.61
विलोपन वजन राशि						20.82	0.69						21.51
31 मार्च, 2021 तक													
31 मार्च, 2022 तक													

1. उपरत संपत्तियों के टाइटल शीट कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की मरदाँ का विवरण	संपत्ति वजन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल शीट	क्या टाइटल शीट प्राप्त	संपत्ति किस तरीके से प्राप्त है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति की मरदाँ का विवरण					
कंपनी के नाम नहीं					
अन्य भूमि					

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी 4 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(₹ लाख में)								
	भयन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)	संचयन और उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य आधारभूत संरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सफल बहान राशि: : 01.04.2020 तक जोड़				1,000.04	5,245.11			6,245.15
पूँजीकरण/ विलोपन 31.मार्च, 2021				437.89	4,603.73			5,041.62
				1,437.93	9,848.84			11,286.77
01.04.2021 तक जोड़				1,437.93	9,848.84			11,286.77
पूँजीकरण/ विलोपन 31 मार्च, 2022 तक				609.49	6,319.51			6,929.00
				2,047.42	16,168.35			18,215.77
संचित हानि 01.04.2020 तक वर्ष के लिए प्रभार हानि विलोपन / समायोजन 31.मार्च, 2021								
01.04.2021 तक वर्ष के लिए प्रभार हानि विलोपन / समायोजन 31 मार्च, 2022 तक								
नियत बहान राशि 31 मार्च, 2022 तक				2,047.42	16,168.35			18,215.77
31 मार्च, 2021 तक				1,437.93	9,848.84			11,286.77

पूँजी-कार्य (सीडरन्स/आईपी) प्रगति में  
(क) पूंजीगत कार्य में प्रगति  
के लिए समय-सीमा अनुसूची  
:

	अवधि के लिए सीडरन्स/आईपी में राशि					कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		
परियोजनाएँ प्रगति पर :						
भयन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)						
संचयन और उपकरण						
रेलवे साईडिंग						
अन्य आधारभूत संरचना/ विकास	609.49	437.89	341.44	658.60	2,047.42	
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	6,319.51	4,603.73	2,178.29	3,066.82	16,168.35	
सौर परियोजना						
अन्य						
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :						
प्रमुख (अर्थात् भयन/संचयन और उपकरण) का नाम उल्लेख करें						
परियोजना का नाम						
परियोजना का नाम						
कुल	6,929.00	5,041.62	2,519.73	3,725.42	18,215.77	

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति

	में पूरा किया जाना है :				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएँ प्रगति पर :					
भयन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)					
संचयन और उपकरण					
रेलवे साईडिंग					
अन्य आधारभूत संरचना/ विकास					
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					
अन्य					
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
प्रमुख (अर्थात् भयन/संचयन और उपकरण) का नाम उल्लेख करें					
परियोजना का नाम 1					
परियोजना का नाम 2					
कुल					

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

	(₹ लाख में) अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल बहान राशि 01.04.2020 तक जोड़ पूँजीकरण/ विलोपन 31.मार्च, 2021	-
01.04.2021 तक जोड़ विलोपन / समायोजन 31 मार्च, 2022 तक	-
परिशोधन और हानि 01.04.2020 तक वर्ष के लिए प्रभार हानि विलोपन / समायोजन 31.मार्च, 2021	-
01.04.2021 तक वर्ष के लिए प्रभार हानि विलोपन / समायोजन 31 मार्च, 2022 तक	-
निवल बहान राशि 31 मार्च, 2022 तक 31 मार्च, 2021 तक	-

(क) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्तियों के लिए समय-सीमा की अनुसूची

	की अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर :					
अस्थायी रूप से निलंबित अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं :					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर :				
परियोजना का नाम				
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

	(₹ लाख में)			
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :				
01.04.2020 तक				
जोड़			-	-
पूँजीकरण/ विलोपन			-	-
31.मार्च, 2021			-	-
01.04.2021 तक				
जोड़			-	-
विलोपन / समायोजन			-	-
31 मार्च, 2022 तक			-	-
परिशोधन और हानि				
01.04.2020 तक				
वर्ष के लिए प्रभार			-	-
हानि			-	-
विलोपन / समायोजन			-	-
31.मार्च, 2021			-	-
01.04.2021 तक				
वर्ष के लिए प्रभार			-	-
हानि			-	-
विलोपन / समायोजन			-	0.00
31 मार्च, 2022 तक			-	0.00
निचल वहन राशि				
31 मार्च, 2022 तक				
31 मार्च, 2021 तक				

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

	विकास के तहत ईआरपी
सकल बहन राशि :	
01.04.2020 तक	-
जोड़	-
पूँजीकरण/ विलोपन	-
31.मार्च, 2021	-
01.04.2021 तक	-
जोड़	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च, 2022 तक	-
परिशोधन और हानि	
01.04.2020 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31.मार्च, 2021	-
01.04.2021 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च, 2022 तक	-
निवल बहन राशि	
31 मार्च, 2022 तक	-
31 मार्च, 2021 तक	-

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(क) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए समय-सीमा की अनुसूची

	की अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर :					
विकास के तहत ईआरपी			-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
(प्रमुख का नाम (अर्थात् कंप्यूटर आदि) का उल्लेख करें।	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) विकास के तहत अतिदेय अमूर्त संपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
विकास के तहत ईआरपी	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ लाख में)

	धारित राशि का %	शेयरों/इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	तक	
				31.03.2022	31.03.2021
गैर-चालू निवेश					
अनुबंधी कंपनियों में इक्विटी शेयर				-	-
कुल (क)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)					
अन्य निवेश				-	-
कुल (ख)				-	-
सकल योग (क+ख)				-	-
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि :				-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-	-

(₹ लाख में)

निवेश	चालू	इकाइयों की संख्या	भारित औसत एनएवी (₹ में)	तक	
				31.03.2022	31.03.2021
म्यूचुअल फंड निवेश					
सुरक्षित बांड (उद्धृत) में निवेश				0	-
अंतर कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) में निवेश				0	-
कुल :				-	-
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि :				-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी - 8 : ऋण

	इकाइयों की संख्या	भारत औसत एनएवी (₹ में)	तक	
			31.03.2022	31.03.2021
<b>गैर-चालू</b>				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण निगमित निकाय तथा कर्मचारियों को ऋण				
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			-	-
<b>कुल</b>			-	-
<b>चालू</b>				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			-	-
निगमित निकाय तथा कर्मचारियों को ऋण				
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			-	-
<b>कुल</b>			-	-

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	उधारकर्ता का प्रकार	31.03.2022		31.03.2021	
		सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %	सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %
निदेशकगण			-		-
मुख्य प्रबन्धक कार्मिक			-		-
संबंधित पक्षों			-		-
<b>कुल</b>		-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी - 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
<b>गैर-चालू</b>		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
खान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	-	-
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
अन्य जमा और प्राप्त्य	-	-
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों और प्राप्त्य राशियों के लिए भत्ता	-	-
<b>कुल</b>	-	-
<b>चालू</b>		
धारक कंपनी/सहायक कंपनियों/मुख्यालय के साथ चालू शेष खाता	-	-
घटाव : अनुबंधितों के पास संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
अर्जित ब्याज	2.28	0.01
अन्य जमा और प्राप्त्य	0.84	0.94
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों और प्राप्त्य राशियों के लिए भत्ता	-	-
	0.84	0.94
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
<b>कुल</b>	<b>3.11</b>	<b>0.95</b>

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी 10 : अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति

	(₹ लाख में)	
	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
(i) पूंजीगत अग्रिम घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	6,936.79	833.15
	-	-
	<b>6,936.79</b>	<b>833.15</b>
(ii) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम (क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	1.48	1.48
	-	-
	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>
(ख) अन्य जमा और अग्रिम घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	-	-
	-	-
	-	-
(ग) खर्च किया गया प्रगतिशील खान बंदी व्यय	-	-
<b>कुल</b>	<b>6,938.26</b>	<b>834.63</b>

टिप्पणी : प्रगतिशील खान बंदी पर खर्च होने वाला व्यय इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एस्करो खाते से प्राप्त किया जाना बकाया है। सीएमपीडीआईएल द्वारा लेखापरीक्षा के पश्चात सीसीओ के पास दावा प्रस्तुत किया जाना बाकी है। इसमें सीसीओ द्वारा अनुमोदित व्यय भी शामिल है लेकिन जिसे दिशानिर्देश के अनुसार अंतिम खदान बंदी के बाद जारी किया जाना है।

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
(क) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान घटाव : संदिग्ध सांविधिक बकाया के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(ग) अन्य अग्रिम और जमा <sup>1</sup> घटाव : अन्य संदिग्ध अग्रिमों और जमा के लिए प्रावधान	0.11	0.72
	-	-
	<b>0.11</b>	<b>0.72</b>
(घ) प्रगतिशील खान बंदी पर किया गया खर्च	-	-
(ङ.) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
<b>कुल</b>	<b>0.11</b>	<b>0.72</b>

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी- 12 : यस्तु-सूची

	(₹ लाख में)	
	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
(क) कोयले का स्टॉक	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (निधल)	-	-
जोड़ : मार्गस्थ भंडार	-	-
भंडार एवं पुर्जों का निधल स्टॉक	-	-
(ग) केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक	-	-
(घ) कार्यशाला कार्य तथा प्रेस कार्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-

गूल्यांकन का तरीका : टिप्पणी संख्या 2.20 - "यस्तु-सूची" पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां देखें।

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
घातू	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-
सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
क्रेडिट हानि	-	-
घटाय : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
<b>कुल</b>	-	-

- निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।
- उपरोक्त व्यापार प्राप्ति को कोयला गुणवत्ता भिन्नता के प्रावधान और कोयले पर नगी के प्रावधान के लिए ₹ 30.96 करोड़ (गत वर्ष ₹ (50.71) करोड़) बढ़ाया गया है।

व्यापार प्राप्य समय-सीमा अनुसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-
(v) कोयला गुणवत्ता भिन्नता						-
<b>कुल</b>	-	-	-	-	-	-
बिल न किया गया देय						-
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						0
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

कोयला गुणवत्ता भिन्नता का मिलान

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का प्रारंभिक शेष	0	0
अवधि के दौरान योग	0	0
अवधि के दौरान उल्लंघन	0	0
कोयला गुणवत्ता भिन्नता का अंतिम शेष	0	0

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
(क) बैंक में शेष		
जमा खातों में	-	-
चालू खातों में		
- ब्याज वहन (सीएलटीडी)	57.70	50.23
- गैर ब्याज वहन	377.07	28.29
नगद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख) भारत से बाहर बैंक खाता में शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टैम्प	-	-
(घ) उपलब्ध नगद	-	-
(ङ.) अन्य	-	-
<b>कुल नगद एवं नगद समतुल्य</b>	<b>434.77</b>	<b>78.52</b>

नगद और नकद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उपलब्ध बैंक में नगद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल हैं।

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
बैंक में शेष		
जमा	-	-
अन्य जमा - विशेष उद्देश्य हेतु	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

अन्य बैंक शेष में - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और बैंक जमा शामिल हैं, जिसके रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 16 : इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख में)

प्राधिकृत	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
₹ प्रत्येक 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर (₹ प्रत्येक 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त</b>		
प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 90005000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 50000 इक्विटी शेयर)	9,000.50	5.00
	<b>9,000.50</b>	<b>5.00</b>

1. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखनेवाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारक के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति	64000000	71.107	7.107
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति	26000000	28.887	2.887

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:-

विवरण	शेयरों की संख्या	Amount (₹ in Lakh)
दिनांक 31.03.2017 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	-	0.00
दिनांक 31.03.2018 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	0.00	0.00
दिनांक 31.03.2019 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	-	-
दिनांक 31.03.2020 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	-	-
दिनांक 31.03.2021 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	8,99,55,000	
दिनांक 31.03.2022 तक शेष	9,00,05,000	90,00,50,000.00

3. कंपनी के पास प्रति शेयर सिर्फ ₹. 10/ अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर धारक को समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकार है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी- 17 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
दिनांक 01-04-2021 तक शेष	0.00	0.00	(91.51)	0.00	(91.51)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			(1.92)	0.00	(1.92)
अन्तरिम लाभांश					0.00
अंतिम लाभांश					0.00
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण		0.00			0.00
अवधि के दौरान समायोजन (मुख्यालय को स्थानांतरण)					0.00
31.03.2022 तक शेष	0.00	0.00	(93.44)	0.00	(93.44)

(₹ लाख में)

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
दिनांक 01-04-2020 तक शेष	0.00	0.00	(85.80)	0.00	(85.80)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	(5.71)	0.00	(5.71)
अन्तरिम लाभांश	0.00	-	0.00	-	0.00
अंतिम लाभांश	0.00	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	0.00	-	0.00	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	0.00	0.00	0.00
दिनांक 31.03.2021 तक शेष	0.00	0.00	(91.51)	0.00	(91.51)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 18 : उधार

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
बैंक से	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
बैंक से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
- बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्वता	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 19 : व्यापार देय

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2022	31.03.2021
चालू	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	9.41	8.49
कुल	9.41	8.49
व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-
क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक बकाया नहीं।	-	-
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की राशि के साथ ब्याज का भुगतान किया गया।	-	-
ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज और देय (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे जिसका भुगतान किया गया है)।	-	-
घ) अर्जित ब्याज और अवधि के अंत तक बकाया।	-	-
ड.) आगे के वर्षों में भी ब्याज देय और बकाया, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-

व्यापार देय की समय-सीमा अनुसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-

टिप्पणी- 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

गैर-चालू	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना जमा	-	-
अन्य	-	-
चालू		
सीआईएल के साथ चालू खाता	15,134.37	10,671.59
इरकॉन के साथ चालू खाता	44.00	44.00
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना जमा	0.60	0.60
पूंजीगत व्यय के लिए देय	917.96	1,010.18
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	172.72	137.62
अन्य	411.10	431.85
कुल	16,680.76	12,295.84

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी- 21 : प्रावधान

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022	31.03.2021
<b>गैर चालू</b>		
<b>कर्मचारी हितलाभ</b>		
उपदान	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान	-	-
अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-
<b>चालू</b>		
<b>कर्मचारी हितलाभ</b>		
उपदान	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रह राशि	-	-
कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान	-	-
अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-

टिप्पणी- 22 : अन्य गैर चालू देयताएं

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022	31.03.2021
स्थगित आय	-	-
<b>कुल</b>	-	-

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएं

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022	31.03.2021
सांविधिक बकाया	15.24	5.51
ग्राहकों / अन्यो से अग्रिम	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
<b>कुल</b>	<b>15.24</b>	<b>5.51</b>

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी- 24 : संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले का विक्रय घटाव: सांविधिक लेवी कोयले का विक्रय (निवल) (क)	- - -	- - -
ख. अन्य संचालन राजस्व		
लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क घटाव : वैधानिक लेवी	- - -	- - -
निकासी सुविधा शुल्क घटाव : वैधानिक लेवी	- - -	- - -
सेवाओं से राजस्व घटाव : वैधानिक लेवी	- - -	- - -
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 25 : अन्य आय

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
व्याज आय	6.33	2.24
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-संचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन (राइट बैंक)	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
विविध आय	-	-
<b>कुल</b>	<b>6.33</b>	<b>2.24</b>

टिप्पणी 26: उपभोग की गई सामग्री की लागत

विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल एवं लुब्रिकेंट	-	-
एचईएमएम के पुर्जे	-	-
अन्य उपभोग्य भंडार और पुर्जे	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

टिप्पणी -27 : तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार स्टॉक में परिवर्तन

कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक	-	-
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का प्रारंभिक स्टॉक	-	-
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का अंतिम स्टॉक	-	-
ख. कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन (क+ख) (घटाव/अभिवृद्धि)	-	-

टिप्पणी- 28 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस इत्यादि)	-	-
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	-	-
कर्मचारी कल्याण हेतु व्यय	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

टिप्पणी- 29 : सीएसआर संबंधी व्यय

सीएसआर व्यय	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

सीएसआर से संबंधित टिप्पणी

(₹ लाख में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित) :</b>		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	-	-
विशेष शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा उन्नयन	-	-
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के साथ की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	-	-
पर्यावरण स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	-
सशस्त्र बलों के सिपाहियों, युद्ध में हुई विधवाओं और उनके आश्रितों का हितलाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इन्व्यूबेटरी या अनुसंधान विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	-
गंदी बस्ती का विकास	-	-
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	-	-
कुल	-	-
<b>ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप</b>		
अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>टिप्पणी- 30 : मरम्मतें</b>		
भवन	-	-
संयंत्र एवं मशीन	-	-
अन्य	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>टिप्पणी- 31 : संविदात्मक व्यय</b>		
परिवहन शुल्क:	-	-
वैगन लदाई	-	-
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>टिप्पणी- 32 : वित्तीय लागत</b>		
ब्याज पर व्यय	-	-
छूट की समाप्ति	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
	-	-
<b>टिप्पणी 33 : प्रावधान</b>		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
अन्य	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>टिप्पणी 34 : बट्टे खाते (गत प्रावधानों का निवल )</b>		
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ  
टिप्पणी- 35 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	0.20	2.89
प्रशिक्षण व्यय		
दूरभाष एवं डाक खर्च	0.26	0.27
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार		
भाड़ा प्रभार		
चिलंब शुल्क		
सुरक्षा व्यय		
सीआईएल का सेवा प्रभार		
भाड़ा प्रभार	3.52	
सीएमपीडीआईएल को परामर्श प्रभार		
विधिक व्यय	0.06	
परामर्श शुल्क	0.17	0.41
लदान शुल्क के तहत		
विक्रय/अस्वीकार/सर्वेऑफ परिसंपत्तियों पर हानि		
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.90	0.90
कर संबंधी मामले के लिए		-
अन्य सेवाओं के लिए		
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.45	0.45
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा शुल्क पर व्यय		
पुनर्वास शुल्क		
पट्टा किराया		
दर एवं कर		
बीमा		
विनियम दर में अंतर से हानि		
अन्य बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय		
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट		
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क		
आर एंड डी व्यय		
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय		
दान		
विविध व्यय	2.70	3.02
<b>कुल</b>	<b>8.26</b>	<b>7.95</b>

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 36 : कर व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	-	-
स्थगित कर	-	-
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी- 37 : अन्य व्यापक आय

(क) (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मर्दे		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-
(ii) उन मर्दों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-
कुल (क)	-	-
(ख)(i) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
(ii) उन मर्दों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	-	-

दिनांक : 31 दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त विवरण

1. मर्यादित नगरे

(क) आकस्मिक वेवराई

I. कंपनी पर किए गए शोधों के फल में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ लाख में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2021 तक प्रारम्भिक शेष					0
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	0
अवधि के दौरान निपटाए गए ढाये					
क. आकस्मिक सेब से	-	-	-	-	-
ख. वर्ष के दौरान योग से	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक अंतिम शेष	-	-	-	-	-

आकस्मिक वेवराई

क्रमांक.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार आय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वच्छ ऊर्जा उपकरण केन्द्रीय विकास कर सेवा कर अन्य उप-योग	-	-
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण रोयल्टी पर्यावरण मंजूरी विकास कर/घोट प्रवेश कर विपुल शुल्क अन्य उप-योग	-	-
3	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मध्यस्थता कार्यवाही कंपनी के अधीन मुफ्तमेघानी के विरुद्ध मुकदमा अन्य उप-योग	-	-
4	अन्य : (बिदि कोर्स से) विधि-शुल्क एवं अन्य कर्मचारी संबंधित और आदि उप-योग कुल योग	-	-

II. गांठें

दिनांक 31.03.2022 को गांठें की गईं ₹ 0.00 हैं।

III. साख पत्र एवं आवासन पत्र

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार अनुसार बकाया साख पत्र ₹ 0.00 है और आवासन पत्र ₹ 0.00 है।

(ख) प्रतिबन्धन

पूँजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संधिदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं: ₹ 0.00 ।  
अन्य प्रतिबन्धन: ₹ 0.00 .

2. प्राधिकृत पूँजी

	31.03.2022	31.03.2021
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर	10000	10000

3. संबन्धित पार्टी सूचनार्थ

1) वेगवार पूर्व साध निधि तथा अन्य

(अ) हस्त

1) कोल इंडिया कर्मचारी वेल्फेयर फंड

2) कोलता खाद्य परिवार निधि (सीएफपीएफ)

3) कोल इंडिया अधिभारिता साध निधि ट्रस्ट

4) गैर-कार्यकारी के लिए संशोधित अंगदानी सेवा/विशेष पत्र विवरण बोधक

5) सीआरएल कार्बोनाट पौलिसिड अंगदानी वेवराई ट्रस्ट

(ख) संस्था

(क) भारतीय कोरसा प्रबंधन संस्था (आईआईएल) - (पंजीकृत सोसायटी)

(ख) कोल इंडिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (सीआईडीएल) - (पंजीकृत सोसायटी)

(III) प्रमुख प्रबंधकीय कार्यात्मक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष	01.03.2019

श्री बी. के. दाश	निदेशक	28.07.2021
श्री एस. एल. गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
श्री एम. के. सिंह	निदेशक	01.11.2019
श्री अभिजीत नरेंद्र	निदेशक	02.08.2017
श्री केशव राव	निदेशक	16.12.2020
श्री के. के. राठल	निदेशक	10.01.2020
श्री एस. नायक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05.12.2021
श्री ए. वी. आर. मूर्ति	सीओओ	29.09.2021
श्री पी. के. पंडा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.06.2020

(IV) प्रमुख प्रबंधकीय कार्यों का परिचय (₹ लाख में)

क्रमांक	सोपना, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को मुहताज	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ सफल वेलन चिफिन्सीय लाभ अनुलाभ और अन्य लाभ	0 0.01 0.61	0 0.09 1.36
ii)	रोजगार पश्चात लाभ भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	0.13	0.00
iii)	सेवा सम्पत्ति लाभ		
	कुल	0.75	1.45

टिप्पणी:

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम व्यूरो के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 द्वारा तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार दियायती दर के भुगतान पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कार्र के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(V) स्वतंत्र निदेशकों को मुहताज

(₹ लाख में)

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशकों को मुहताज	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	ईडक शुल्क	-	0.00

(VI) दिनांक 31.03.2022 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्यों का बकाया शेव

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

(क)

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से भ्रम-भ्रमण या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संतुलन रूप से कोई व्यापार या अन्य प्रतियोगिता नहीं है। यही फर्मों या तृतीय कंपनियों से कोई व्यापार या अन्य प्रत्यक्ष प्रतियोगिता देव है विद्यमान कोई विदेशक प्राणीवाद, निदेशक या सदस्य है।

ख. समूह के भीतर संबंधित पार्टी सेवदेव

एचआर/आइएन ने अपनी धारक कंपनी के साथ भारत खारे के माध्यम से धारक कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों का लेन-देन किया है।

पारोप सेवकान मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण सेवदेव की प्रकृति और धारि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:

1) अनुबंधी कंपनियों

दिनांक 31.03.2022 को बकाया शेव राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए सेवदेव

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शर्त प्रकार	पुनर्वास शुल्क,	प्रवध साधारा	परिसंपत्तियों / बंधार साधारी की किंती	अनुबंधियों द्वारा रजो गई निधियों पर व्याज	अन्य	बालू खाता शेव देव/प्राप्तियां	बकाया शेव (रिपे)/प्राप्तियां
महानदी कोलरैलवे लिमिटेड							15,134.37	
एचआर इन्व्हेस्टमेंस लिमिटेड							44.00	1,166.00
कुल							15,134.37	

दिनांक 31.03.2021 को बकाया शेव राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए सेवदेव

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शर्त प्रकार	पुनर्वास शुल्क,	प्रवध साधारा	परिसंपत्तियों / बंधार साधारी की किंती	अनुबंधियों द्वारा रजो गई निधियों पर व्याज	अन्य	बालू खाता शेव देव/प्राप्तियां	बकाया शेव (रिपे)/प्राप्तियां
महानदी कोलरैलवे लिमिटेड							10,671.59	
एचआर इन्व्हेस्टमेंस लिमिटेड							44.00	833.00
कुल							10,671.59	

ग. एक ही साकार के निबंधन में संस्थाएं:

कंपनी एक केंद्रीय धारकनिक शेव कर उपाध (सीसीएचए) है जो केंद्र लका द्वारा अधिकांग शेव धारण करके विबंधित होगी है (नोर-16 रेवें): एक साकार रकार होने के गते कंपनी को संबंधित पार्टी सेवदेव के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं और विबंध साकार और एक ही साकार के गते अब रकार के साथ बकाया शेव राशि से वृद्ध प्राप्त है। निम्नलिखित सेवदेव एक ही साकार के निबंधन में संस्थाओं के साथ आने-सने की कीमत पर र्व किए गए हैं।

4. विविध सूचनाएँ

- (क) महत्वपूर्ण सेवांकन नीति  
कंपनी (मातृ संस्था सहित) विभागाधीन, 2015 के महत्वपूर्ण सेवांकन नीति के संशोधन (एनपीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय सेवा गारंटी के अनुसार कंपनी द्वारा अद्यतन गई सेवांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सेवांकन नीति (टिप्पणी-2) का संशोधन प्रकाशित किया गया है।
- (ख) सेवांकन नीति में परिवर्तन  
वित्तीय विवरणों के उपरोक्त संशोधनों के कारण, महत्वपूर्ण सेवांकन नीति को संशोधन 2.11 अद्यतन संशोधन तथा 2.17 वर्तमान संशोधन और 2.23.2 अद्यतन और अद्यतनों में संशोधित/विशेष के परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
- (ग) इतिहास चोपचारण :  
24 मार्च, 2021 को, कंपनी के संशोधन (एनपीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया संशोधन अनुसूची III के संशोधित विवरण I, II तथा III में किया गया और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। कंपनी ने 2021-22 की पहली तिमाही के खातों से अपने वित्तीय विवरणों में संशोधनों को शामिल किया है।
- (घ) अन्य  
i. निरुद्ध बर्ष के अंकड़ों को वर्ष भी आवश्यक समझा गया, पुनर्वनीकृत, पुनर्संशोधित और पुनर्संशोधित किया गया है।  
ii. टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कंपनी के वार्षिक और महत्वपूर्ण सेवांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 23 दिनांक 31.03.2021 तक के तुलनात्मक आंकड़े हैं और 24 से 37 वस काटका को वार्षिक बर्ष के साथ और वार्षिक के विवरण भर किया है। टिप्पणी - 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

5 उचित मूल्य पर

(क) खसारा विधीय धारण

	31-03-2022		31-03-2021	
	एक.पी.टी.पी.एन.	परिभाषित लागत	एक.पी.टी.पी.एन.	परिभाषित लागत
विधीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड		-		-
म्युचुअल फंड/आईसीडी		-		-
भूखण्ड		-		0.00
जमा एवं प्राप्त्य		3.11		0.95
व्यापार प्राप्त्य		-		-
नगद एवं नगद समकक्ष		434.77		78.52
अन्य बैंक रोच		-		-
विधीय देवदार		-		-
उत्पा		-		-
भाषा देव		9.41		8.49
प्रतिभूति जमा और बचाना राशि		0.60		0.60
पट्टा देवदार		-		-
अन्व देवदार		16,680.16		12,295.24

\*कोसल मुद्रासा विफल के लिए धरा व्ययपर प्राय के करत गवा

(ख) उचित मूल्य अनुमान

विधीय धारण के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गद केसरो एक अनुमानों को नीचे दो गद जातिगत में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मारा इकायत माला है एवं (ख) परिसंपत्तिय धारण पर मारा माला है तथा निम्नके लिए विधीय देवदारों में उचित मूल्यों का जेकर भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किने गए इन्पुट की विवरणों के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु चारु ने अपने विधीय धारण को संकलन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरो में विभाजित किया है।

उचित मूल्य पर कार्य पर विधीय परिसंपत्तियों और देवदार	31-03-2022		31-03-2021	
	स्त 1	स्त 3	स्त 1	स्त 3
एफवीटीपीएस में विधीय परिसंपत्तियों				
निवेश :				
म्युचुअल फंड/आईसीडी		0.00		0.00

परिसंपत्तिय धारण पर कार्य में विधीय परिसंपत्तियों और देवदारों के लिए उचित मूल्यों को 31.03.2022 को प्रकट किया गया	31-03-2022		31-03-2021	
	स्त 1	स्त 3	स्त 1	स्त 3
विधीय परिसंपत्तिय				
निवेश* :				
सुरक्षित बॉन्ड		0.00		0.00
भूखण्ड		0.00		0.95
जमा एवं प्राप्त्य		3.11		0
व्यापार प्राप्त्य		-		78.52
नगद एवं नगद समकक्ष		434.77		0
अन्य बैंक रोच		-		-
विधीय देवदार		-		-
उत्पा		-		-
भाषा देव		9.41		8.49
प्रतिभूति जमा और बचाना राशि		0.60		0.6
पट्टा देवदार		-		-
अन्व देवदार		16,680.16		12,295.24

अनेक स्त का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्त 1: स्त 1 पर अनुमान में उद्धृत की गयीं का उपयोग करने विधीय धारणों का मूल्यांकन किया गया है। इनमें म्युचुअल फंड शामिल हैं, जिन्हें तिरोहित विधि के अनुसार बकरत मारित मूल्य (एफ.वी.टी.पी.एन.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया गया है।

स्त 2: ये विधीय उपकरण विरल वक्रित बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन शास्त्रीय का उपयोग करने किया जाता अपेक्षित है, जो कि विधीय धारण के संकेतों के उपयोग को अधिक बढ़ता है एवं इकाय मिति के अनुपातों पर बकायत का निर्धारण करता है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए, आवश्यक सभी महावर्ण इन्पुट देकर या पकड़े हैं, तो उपकरण को स्त 2 में शामिल किया जाता है।

स्त 3: यदि एक का अधिक महावर्ण विधीय धारण के संकेतों पर आपातित नहीं हो तो उपकरण स्त 3 में उभे शामिल किया जाएगा वह निवेश, भुखा जवा और स्त 3 में शामिल अन्य देवदारों का भागला है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन शास्त्रीय का उपयोग:

विधीय धारणों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन शास्त्रीय में म्युचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एफ.वी.टी.पी.एन.) का उपयोग शामिल है।

(घ) महावपूर्ण आगमन इनपुट का उपयोग कर अधिक मूल्य प्राप्त करने में कोषाधीन आगमन रिक्त कर प्रयोग कर विद्यो अतिरिक्त मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ङ) पालीतान लागत पर भारी गैर विधीय आयियों और देवदारियों का अतिरिक्त मूल्य

अल्पवधि के काल अन्तर्गत अतिरिक्त की वर्तमान धर्म, अल्पवधि बंध, नकद एवं नकद संपत्ति तथा अल्पवधि धुलान को उनके अतिरिक्त मूल्यों के आधार पर मापन में लिया गया है।

कंपनी का मान्य है कि शुद्धा बन्ध में एक महावपूर्ण विधीय सटक शामिल नहीं है। शुद्धा बन्ध अल्प के प्रदर्शन के साथ भेदा खाता है और अनुबंध के लिए रिक्त के अन्तर्गत अन्य कार्यों के परिणाम को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यदि देवेया अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं तो प्रत्येक महावपूर्ण धुलान विधीय प्रतिकार धारण कर कंपनी के रिक्त की रक्षा करते हैं। सधुद्धा, शुद्धा बन्ध की लेन-देन लागत को प्राथमिक मापन पर अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है और बाद में इसे अनुर्ण लागत पर प्राप्त करता है।

महावपूर्ण अनुमान: एक वार्षिक आधार पर कावेया रही करते बायो विधीय बायोपर्व का अतिरिक्त मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का पधन करने के लिए अपने रिक्त का उपयोग करता है और प्रत्येक रितीय अतिरिक्त के अंत में उपयुक्त धारण करता है।

6 विधीय कोषिय प्रबंधन:

विधीय कोषिय प्रबंधन संशोधन एवं नीतियों

कंपनी के मुख्य विधीय देवदारियों में अन्तर्गत एवं अन्य देव अतिरिक्त है। इन विधीय देवदारियों का मुख्य संशोधन कंपनी के संसाधन हेतु उनके विधीय बाजारता एवं मांडी प्रदान करता है। कंपनी के मुख्य विधीय आयियों में संसाधन के श्रेयो सुधार रूप, अन्तर्गत एवं अन्य प्राथम्य, नन्दा एवं नन्दा संपत्ति शामिल है।

कंपनी का मान्य कोषिय, क्रेडिट कोषिय एवं नकदी कोषिय के संदर्भ में है। कंपनी के बांध प्रबंधन इन कोषियों की निगरानी करती है। कंपनी के बांध प्रबंधन कोषिय धर्मिय के द्वारा मॉडल किए गए हैं, जो वास्तव विधीय कोषिय तथा कर्तव्य के लिए उपयुक्त विधीय कोषियों के मापन बांध पर अपनी बहाल देती है। कोषिय धर्मिय कंपनी की विधीय कोषिय नीतियों के लिए अन्तर्गत आगमन रिक्तक पंढरा को देती है जो कि अतिरिक्त नीतियों एवं नीतिया द्वारा शामिल होती है तथा विधीय कोषिय कंपनी के नीतियों के अन्तर्गत प्राप्त करने, साथे एवं अतिरिक्त किए जाते हैं। रिक्तक पंढरा नीतियों के अन्तर्गत हेतु की गई कथना एवं नीतियों के अन्तर्गत है, जो संशोधन में जोड़े किए गए हैं।

इस विधीय कोषिय के नीतियों की जानकारी देती है विधयो पर सदा है कि यह इसके प्रदर्श के संदर्भ में है तथा कि यह कोषिय एवं विधीय संशोधन विधान के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

कोषिय	कोषिय से राशय	माप	प्रबंधन
क्रेडिट-कोषिय	नकद और नकद संपत्तिया, अन्तर्गत तथा धर्मियोयिण लागत पर बांधे गए विधीय धर्मियोयिण	बांध प्रभाव विधीय/क्रेडिट/रिक्त	सार्वजनिक उद्यम विधान (डीपीई रिक्तियेन), बांध तथा क्रेडिट नीतिया एवं अन्य नीतियों का विधीयकरण
नगदी कोषिय	उपार तथा अन्य देवदारियाँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबंधित क्रेडिट लागत अन्तर्भूता एवं उपाय की सुविधाएँ
बाबा कोषिय-विधीय मुद्र	विधीय के धार्मिक संशोधन, मान्यता प्राप्त धर्मिय धर्मियोयिण और देवदारियों को आन्तरिकता में नहीं दर्शाया गया है।	नकदी प्रवाह सुधुलान संवेदनीयता विधीय	सेवा धर्मिय एवं बांध प्रबंधन द्वारा रिक्तक रूप से नियन्त्रित एवं कथना
बाबा कोषिय-अन्तर्गत दार	नकद और नकद संपत्ति, बैंक तथा और धर्मियोयिण पंढ	नकदी प्रवाह सुधुलान संवेदनीयता विधीय	सार्वजनिक उद्यम विधान (डीपीई रिक्तियेन), बांध प्रबंधन और सेवा पंढरा धर्मिय द्वारा रिक्तक नियन्त्रित और कथना

मापन बाबा द्वारा बांधे श्रेयो के रिक्तियेनानुसार रिक्तक पंढरा द्वारा कंपनी के कोषिय का प्रबंधन किया जाता है। पंढरा आवधिक नगदी निवेग की नीतियों कायि धुलान प्रबंधन कोषिय हेतु रिक्तक रूप में विधीय प्रदान करती है।

क. क्रेडिट कोषिय:

यह एक धर्मिय धर्मियोयिण धर्मियों पर चूक करता है तथा क्रेडिट कोषिय अन्तर्गत होता है विधयो धर्मियोयिण कंपनी को विधीय मुद्रकान देता है।

प्राथमिक उद्यम धर्मिय के लिए प्राथम्य: कंपनी आधीन प्राथमिक रूप धर्मिय (बांधियेन धर्मियोयिण) द्वारा धर्मिय/रूप धर्मिय आयियों के लिए अतिरिक्त रूप कोषिय धर्मिय प्रदान करती है। रिक्तियों - 13, अन्तर्गत प्राथम्य का संदर्भ लेते

विधीय धर्मियोयिणों में हेतु धर्मिय हेतु किधे गए महावपूर्ण आगमन एवं निर्माण :

अन्तर्गत बाबा धर्मिय धर्मिय के लिए धर्मिय धर्मिय की धारणा अतिरिक्त रूप धर्मिय पर आधारित होती है। कंपनी इन मान्यताओं को करने के लिए कंपनी के पूर्ण ग्रीहता, धर्मिय बाबा की रिक्तियेन और प्रत्येक रिक्तियेन धर्मिय के अंत में किए गए धर्मिय के आधरतों के आधार पर हेतु चर्चा कर चर्चा करती है।

घ. नगदी कोषिय

विधीय नगदी नगदी कोषिय प्रबंधन का धर्म है धर्मिय नकदी और विधान धर्मिय धर्मियों को बाबा रखता और देव देते पर धर्मियों को रूप करने के लिए धर्मिय धर्मिय में प्रतिबंध रूप सुविधाओं के मापन के पध की अन्तर्भूता अतिरिक्त अन्तर्गत धर्मियों की धर्मियोयिण धर्मिय के बाबा, कंपनी कोषिय प्रतिकार क्रेडिट लागत के तहत अन्तर्भूता बाबा रखते हुए धर्मिय धर्मिय में धर्मियोयिण बाबा रखती है।

प्रबंधन कोषिय नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी रिक्तियेन (आन्तरिक उद्यम सुविधाओं धर्मिय) और नकदी और नकद संपत्तियों के सुधुलानों की निगरानी करता है। यह आय तथा पर कंपनी द्वारा निर्धारित मान्यता और धर्मियों के अनुसारा धर्मियोयिण स्तर पर किया जाता है।

ङ. बाबा कोषिय

(क) विधीय मुद्र कोषिय

विधीय मुद्र कोषिय धर्मिय के धार्मिक संशोधन और मान्यता प्राप्त धर्मियोयिणों का धर्मियोयिणों के अन्तर्गत होता है जो एक मुद्र में धर्मियोयिण होते हैं जो कंपनी की धर्मियोयिण (आन्तरिकता) नहीं है। कंपनी विधीय मुद्र धर्मिय के अन्तर्गत धर्मिय धर्मियों की धर्मियोयिण धर्मिय के बाबा, धर्मिय धर्मियोयिणों के धर्मिय में विधीय मुद्र कोषिय को महावपूर्ण बाबा करता है। कंपनी भी आगमन करती है और कोषिय का प्रबंधन रिक्तियेन अनुसारा धर्मियोयिण द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है विधीय मुद्र कोषिय महावपूर्ण होने के बाद लागू किया जाता है।

(ख) नगदी प्रवाह एवं धर्मिय मूल्य अन्तर्गत दार कोषिय

कंपनी का मुख्य अन्तर्गत दार कोषिय अन्तर्गत दार में धर्मिय के साथ बैंक धर्मियों के अन्तर्गत होता है, जो कंपनी को नकदी प्रवाह अन्तर्गत दार कोषिय के लिए उपाय करता है। कंपनी की नीति अन्तर्गत नन्दा धर्मियों को रिक्त दार पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक तथा क्रेडिट नीतियां और अन्य धर्मियोयिणों के विधीयकरण पर सार्वजनिक उद्यम विधान (डीपीई) द्वारा धर्मिय रिक्तियेनो के अनुसारा अपनी धर्मिय का प्रबंधन करती है।

च) धर्मिय प्रबंधन

कंपनी एक बाबा धर्मियोयिणों के नगदी धर्मिय धर्मियोयिण एवं सार्वजनिक धर्मिय प्रबंधन के रिक्तियेनो के अनुसारा अपनी धर्मिय का प्रबंधन करती है।

कंपनी की वृत्तीय संरचना निम्नानुसार है :

	31-03-2022	31-03-2021
ट्रिस्टी शेयर धनी	9,000.50	5.00
सीबीआई ग्रुप	-	-

- 7 कर्मचारी लाभ: गारंटीयता और गणन (भारतीय लेखांकन मानक-19)  
कर्मचारियों को परमसीएल और इरकोन से प्रतिनियुक्त किया जाता है, যেতন का भुगतान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है और कंपनी को आवश्यक डेबिट हस्तांतरित किया जाता है।
- 8 अन्य सूचना

(क) प्रावधान  
दिनांक 31.03.2022 को औद्योगिक रूप से सुचारुकर कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर पालीय सेवा चक्र-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की विधि और संश्लेषण नीचे दिए गए हैं:

प्रावधान	(₹ करोड़ में)			
	दिनांक 01-04-2021 तक प्राथमिक तौर	वर्ष के दौरान घटा	वर्ष के दौरान वापस /समाप्त/समाप्त/समाप्त किया गया	31.03.2022 को अंतिम शेषता
टिप्पणी 3:- संचय, संचय और उपकरण : परिसंपत्तियों की हानि:				-
टिप्पणी 4: पूंजीगत कार्य प्रगति पर : सीडब्ल्यूआईपी के तहत :				-
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंशदान एवं मूल्यांकन: प्रावधान एवं हानि :				-
टिप्पणी 8:- ऋण :				-
अन्य ऋण :				-
टिप्पणी 9: अन्य विविध परिसंपत्तियां : अन्य वसा एवं प्रावधान				-
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा सहायक कंपनियों के साथ धारित खाता				-
वसा तथा अन्य प्रावधान				-
टिप्पणी 11:- अन्य धारित परिसंपत्तियां : वसा हेतु अक्षय :				-
कार्यालय स्थिति का अक्षय पुनर्गणना: कर्मचारियों को अन्य अक्षय और वसा				-
टिप्पणी 13:- व्यापार प्रावधान : अक्षय एवं संबंधित वसा के लिए प्रावधान :				-
टिप्पणी 21 :-बी-वाम और धारित प्रावधान : अनुसंधान/संचय प्रदर्शन से संबंधित भुगतान अन्य कर्मचारी लाभ				-
स्टॉक कोस्ट शेयर वसुली X का प्रावधान				-
कार्यकारी वेतन संशोधन का प्रावधान				-
घाट बहाली /खार बंदी				-

(ख) प्रति शेयर आय

क्रमांक	विवरण	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
i)	ट्रिस्टी शेयरधारकों के काल का पचास मूल रूप ₹ करोड़ में	-1.92	-5.71
ii)	बहाली ट्रिस्टी शेयरों की भागीदारी अक्षय	1,92,73,260	50000
iii)	एक से प्रति शेयर मूल एवं अनु भाग (अंतिम मूल ₹ 1000 प्रति शेयर)	(₹ 0.01)	(₹ 11.42)

(ग) धन

क्रमांक	विवरण का नाम	शेयर का नाम	शेयर का धारक संयुक्त	अनुसंधान और अक्षय	प्रति शेयर धारिता	अतिरिक्त
---------	--------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------

(घ) धन और मुद्रि के रूप में  
अक्षय/अक्षय विवरण के आधार पर धन और मुद्रि दोनों का डिग्री समान बना है।

(ङ) धारकों में किए गए प्रावधान  
धन के लिए वे करते हैं /संवर्धन /अनुसंधान धारकों को प्रावधान, अक्षय, धारकों को आदि के विस्तार धारकों में किए गए प्रावधान को संश्लेषित पुनर्गणना को धार करने के लिए धारित भाग बना है।

(च) धारण संयुक्त, ऋण और अक्षय अक्षय  
अक्षय के विचार के, अक्षय धारकों के अक्षय अक्षय और धार धारण विवरण का मूल रूप से धन व्यवहार के कारण अक्षय के दौरान धारण पर का धार पर मूल निधीय किया जाता है, के बहाली सेवा है।

(छ) धारण देवदार  
धारण वार्षिक देवदार नहीं धारण का धारण, धारण अनुसंधान देवदार उरुध्व धारण धारण धारण है।

विवरण	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए	भिन्नता
(क) चालू अनुपात: वर्तमान अनुपात एक समूह की समग्र नगदी स्थिति को इंगित करता है। बैंकों द्वारा अपने खातों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।	0.026	0.007	302%
(ख) ऋण-इविद्येटी अनुपात: ऋण-से-इविद्येटी अनुपात एक समूह के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इविद्येटी से करता है। इन दोनों नंबरों को समूह की तुलना-पत्र में पाया जा सकता है। ऋण-इविद्येटी अनुपात की गणना शेयरधारक की इविद्येटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।	0.000	0.000	0%
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की चालू ब्याज और किरातों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = कर पछात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यहास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समागोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्भुगतान "कर पछात शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि) की रिपोर्ट की गई राशि" और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।	0.000	0.000	0%
(घ) इविद्येटी अनुपात पर वापसी: यह कंपनी में निवेश किए गए इविद्येटी फंड की लक्ष्यप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इविद्येटी-धारकों के फंड की लक्ष्यप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इविद्येटी-धारकों को उच्चतम प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना: (कर पछात शुद्ध लाभ कम वरीयता लक्ष्य (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इविद्येटी से विभाजित किया जाता है।	0.000	0.066	-101%
(ङ) वस्तु-सूची आवर्त अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक समूह अपनी सूची का उपयोग या प्रबंधन करता है। वस्तु-सूची आवर्त अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं की लागत या औसत वस्तु-सूची से विभाजित बिक्री के रूप में की जाती है।	0.000	0.000	0%
औसत वस्तु-सूची है (शुरुआती + अंतिम शेष / 2) जब वस्तु-सूची के प्रारम्भिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या बिक्री को वस्तु-सूची के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है। घा व्यापार प्राप्ति आवर्त अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्ति को प्रबंधन कर रही है।	0.000	0.000	0%
व्यापार प्राप्ति आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्ति खाते निवल क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट प्रिन्सिपल घटा बिक्री रिटर्न शामिल है। व्यापार प्राप्ति में विविध देनदार और प्राप्ति मिल शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारम्भिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों के क्रेडिट बिक्री, प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अनुपात की गणना व्यापार प्राप्ति के समापन शेष को कुल बिक्री से विभाजित करके की जा सकती है।	0.000	0.000	0%
घा व्यापार देय आवर्त अनुपात: यह दर्शाता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा निवल ऋण खरीद को विभाजित करके की जाती है।	0.922	0.024	3774%
व्यापार देय आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय निवल क्रेडिट खरीद में सकल क्रेडिट खरीद घटा खरीद रिटर्न शामिल है जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो अनुपात की गणना व्यापार लेनदारों के समापन शेष से कुल खरीद को विभाजित करके की जाती है।	0.000	0.000	0%
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में समूह की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = निवल बिक्री / कार्यशील पूंजी निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों को घटाकर चालू देनदारियों के रूप में की जाएगी।	0.000	0.000	0%
(झ) निवल लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ / निवल बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद का होगा निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।	0.000	0.000	0%

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(बी. के. परिहा)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
ह/-  
(केशव राव)  
निदेशक  
बीआईएन: 08651284

ह/-  
(एस नायक)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
ह/-  
(ओ. पी. सिंह)  
अध्यक्ष  
बीआईएन: 07627471

कृपे एस. कल्लड एंड एसोसिएट्स  
सहकारी लेखाकार  
फर्म पंजी संख्या. - 317066ई  
ह/-  
(सीए सुनील कल्लड)  
स्वामित्व  
(सदस्यता सं. 053159)

दिनांक: 06.05.2022

स्थान: सम्बलपुर